विशेषांक 2015

ई-वाणी

संवाद पत्र

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

वॉलेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

स्वैच्छिक संस्थाओं की एक शीर्ष संस्था

वाणी क्या है ?

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

VANI

वाणी एक राष्ट्रीय मंच है जो स्वैच्छिक संस्थाओं/एन.जी.ओ/ सामाजिक संगठनों कि सामूहिक वकालत करता है।

वाणी के साथ आपका जुड़ाव

वाणी भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र को मजबूत बनाकर सीमांतीकृत लोगों की स्थिति में सुधार लाने के आंदोलन का अंग बनाने, समतापूर्ण समाज और सुशासन में योगदान करने के लिए आपको आंमत्रित करती है।

वॉलेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव 2, नई दिल्ली – 110 048

फोनः 011–29228127, 29226632, टेलिफैक्सः 011–41435535

ईमेलः info@vaniindia.org वेबसाइटः www.vaniindia.org

विषय सूची

संपादक के कलम से..... 02

लेख

धारणाएं बदलना और चुनौतियों से भिड़ना
– अर्जुन कुमार फिलिप्स..... 03

पोस्ट 2015 एजेंडा के लिए कार्यक्रम तय
– अर्जुन कुमार फिलिप्स..... 05

एफसीआरए के तहत गैर पंजीकृत संगठनों को धन हस्तानांतरण
– एफएमएसएफ..... 10

नेतृत्व वाक्:
– एरिका बोर्नस्टैन 12

स्वयंसेवी संगठनों के समक्ष अवसर व चुनौतियों पर
पहाड़ी क्षेत्रीय कार्यशाला
– वाणी 13

अशांत राज्यों में बन रहा स्वैच्छिक संगठनों के लिए सुधार ढांचा
– रत्ना मंजरी 15

बदलता भारतीय लोकतंत्र
– डॉ. मज़हर हुसैन..... .. 17

कल का बदलता भारतः अभिसरित हो रही राजनीति व लोकनीति
– डॉ. राजेश टंडन..... .. 20

नागरिक समाज के नजरिए से जी–20 का विश्लेषण
– सुश्री दिविता शांडिल्य..... .. 24

वाणी के बारे में

हम, वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) से जुड़े सभी लोग समानता, समदर्शिता, न्याय और सततता के सिद्धांतों का समर्थन करने वाली मूल्याधारित स्वैच्छिक कार्रवाई के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं।

हम

- व्यापक आधार वाली शासन व्यवस्था
- सामूहिक निर्णय प्रकिया
- विकेन्द्रीकृत, सहभागी सक्रिय व्यवस्था का निर्माण कर लोकतंत्र की भावना का समर्थन करने, और
- देश के कानून तथा अपने संगठन के मापदंडों का पालन करने
- नियतकालिक गतिविधि प्रतिवेदन के दस्तावेज़ीकरण तथा लेखा की उपयुक्त लेखा विवरण कर तथा
- अन्यों के साथ अपनी सूचनाओं, ज्ञान और अनुभव का साझा कर अपनी कार्रवाईयों में पारदर्शिता और जवाबदेही की शपथ लेते हैं।

समग्र रणनीति

- ज्ञान का सृजन
- नीतिगत पैरवी
- संचालित करना और मजबूत बनाना
- क्षमता निर्माण
- अन्य नेटवर्कों से मिलकर कार्य

कार्यक्रम सम्बंधी धाराएं

- स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज को रूप में प्रस्तुत करना
- स्वैच्छिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

मुख्य संपादक
हर्ष जेतली
कार्यकारी संपादक
अर्जुन कुमार फिलिप्स
रूपरेखा
राजकुमार शर्मा
मुद्रक
ब्रॉईट डिजाईन फोक्स
ई–मेलः bright.design1@gmail.com

नागरिक समाज की आवाज़
वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया की ओर से प्रकाशित की जाती है
© वाणी
वॉलंटॅरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव 2,
नई दिल्ली–110048
फोनः 011–29228127, 29223644 41435535
ई–मेलः info@vaniindia.org वेबसाइटः www.vaniindia.org

संपादकीय

हर्ष जेतली

वर्ष 2015 उन संस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.) के तहत रजिस्टर्ड है। पिछले साल की समाप्ति पर एक तोहफे से पूरी हुई जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक खुफिया रिपोर्ट निकाली जिसमें कई आरोप विकास क्षेत्र के प्रति थे। इस रिपोर्ट से यह तथ्य निकला कि गरीब और हाशियों के अधिकारों के सम्बंध में बोलने कि अनुमति नहीं। अतीत में देखा गया है कि हमारी मीडिया ने ऐसी रिपोर्टो को अधिकतम उछाला और नागरिक समाज के आलोचकों की आलोचनाओं को बढ़ावा दिया। इस देश में कोई ऐसा सेक्टर नही है जो इतनी शांति और शिष्टा से हमलों को स्वीकार। हमने इस साल कुल 188 संस्थाओं की सूची की खबर का स्वागत किया। हमारी जांच हमेशा गृह मंत्रालय की इंकारी में समाप्त होती है लेकिन मीडिया पूर्ण कोशिश में रहती है कि इस क्षेत्र को एक नकारात्मक तौर से पेश किया करे। हमने यह भी देखा है कि 10 से 14 संस्थाओं को पूर्व अनुमोदन के वर्ग में डाला गया है। इसमें शामिल हैं कई प्रतिषठित संस्थाएं जो हाशियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं। 2015 हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल लगभग 20 हजार संस्थाएं एफ.सी.आर.ए. नवीकरण भरेंगे। 4 फरवरी को वाणी ने दिल्ली में एफ.सी.आर.ए. से सम्बंधित भविष्य कि योजना तय करने के लिए बैठक बुलाई।

इसके लिए हमें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और लगभग 38 बड़ी संस्थाओं ने अपने वित्तीय और प्रोग्राम प्रतिनिधियों को इस बैठक के लिए भेजा। 3 प्रमुख मुददे सामने आये सबसे पहला पूर्व अनुमोदन के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने बिना किसी कानूनी तंत्र से कई संगठनों को इस वर्ग में डाल दिया। दूसरा 1 मई 2011 से पहले दर्ज की हुई 20 हजार संस्थाएं जिनकी एफ.सी.आर.ए. पंजीकरण होने वाली है। और तीसरा स्वैच्छिक क्षेत्र द्वारा एफ.सी.आर.ए. अधिनियम और नियमों की प्रभावकारिता की

समीक्षा करने की जरूरत है। अब यह स्थापित हो चुका है कि पूर्व अनुमोदन श्रेणी में डालने से पहले किसी संस्था या उसकी सहयोगियों को सूचित सम्पर्क या उसकी जाँच नहीं हुई बल्कि उनको इस बात कि सूचना आर.बी.आई. की परिपत्र से मिली। यहां तक कि गृह मंत्रालय ने भी पहले कोई प्रक्रिया की अधिसूचिता नहीं दी। इस बैठक के प्रतिभागियों को यह महसूस हुआ कि यह न्याय के इन्कार का स्पष्ट मामला था जहां पीड़ितों को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया।

वाणी से अनुरोध किया गया कि पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करने कि प्रक्रिया गृह मंत्रालय के साथ बैठकर विचार विमर्श करें। कई प्रतिभागियों ने बताया कि कई बैंको को इसके बाद की प्रक्रिया की जानकारी तक नहीं थी। वाणी ने प्रतिभागियों को आशवासन दिलाया है कि एफ.सी.आर.ए. विभाग से इस मामले की स्पष्टीकरण ली जाएगी। एफ.सी.आर.ए. 2010 मे एक घटक पंजीकरण कि नवीकरण से जुडा है। इसका मतलब यह है कि जो भी संस्थाओं का एफ.सी.आर.ए. का पंजीकरण 1 मई 2011 से पहले था उनको अपना नया पंजीकरण मई 2016 मे करवाना पड़ेगा। बैठक में इस मुददे को लेकर विस्तार से चर्चा कि गई और आम सहमति है कि छोटे संस्थाओं को इस प्रक्रिया की सूची के बारे में ज्यादा जानकारी न होने के कारण भ्रम और

शेष पृष्ठ 4 पर

धारणाएं बदलना और चुनौतियों से भिड़ना

अर्जुन कुमार
फिलिप्स

अपने राष्ट्रीय परामर्श में हम आपका स्वागत बहुत खुशी से करते हैं। यह अवसर स्वैच्छिक क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर मुददों को संबोधित करता है और उसकी ताकत का जश्न बनाता है। इतने बड़े उत्सव को मनाने के लिए हम आपको अपने न्यूजलेटर का विशेष संस्करण पेश करते हैं जो इस क्षेत्र के समकालीन समस्याओं को उठाता है। वर्ष के आगमन में असंख्य समस्याओं ने विभिन्न संस्थाओं के कामकाजों में तत्काल बाधाएं डाली। क्षेत्र पर अक्रमण करने के लिए नियामक एंव राजकोषीय नियंत्रणों ने इस क्षेत्र की समृद्ध उपलब्धियों को मिटाने की कोशिश की। मीडिया ने खबर फैलाई कि कैसे सरकार नागरिक समाज और स्वयंसेवी सक्रियता को खत्म करने कि कोशिश में जुटा है। इस तरह के उदाहरण हाल ही के नहीं लेकिन अतीत मे हुई नियंत्रण प्रथाओं की अनुवर्ती है। हमारा स्वैच्छिक क्षेत्र 200 साल पुराना है और राष्ट्र निर्माण के लिए अहम भूमिका अदा कर चुका है। सरकार के साथ मिलकर हमने कई नीतियों को प्रभावशाली बनाया है। यह आम बात है सुनना कि नागरिक समाज सरकार के साथ भिड़ता रहता है या सरकार के खिलाफ काम करता है ताकि सरकार को उखाड़ फेंक अपने को जमा दें ऐसे वाक्यांश गलत हैं क्योंकि यह अलग–अलग धारणाएं

प्रतीत करती हैं। नागरिक समाज ने हमेशा सरकार के साथ भागीदारी बनाने की कोशिश की है अथवा एक स्वस्थ आलोचना और साझेदारी का माहौल लाने कि कोशिश की है हमारा देश एक लोकतंत्र है और आलोचना करना हमारा अपरिर्वतनीय अधिकार है। हम जो नागरिक समाज के विभिन्न अंश हैं सरकारी कामकाज में अपने सुझाव देते हैं और सरकारी नीतियों में गलतियां सुधारने के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं। यह सुझाव आगे जाकर समाज सेवा मे अनुवाद होती है और यह सेवा सरकारी कामकाज का बोझ बांट लेती है। यह भूला नही जा सकता कि हमारे क्षेत्र ने दिन रात समाज की सेवा की है जिससे एक मजबूत आर्थिक रूप से पर्याप्त और समाजिक रूप से सक्षम समाज बनाया जाए।

हमारी ईमानदारी पर शक करने वालों को हमारे अतीत कि उपलब्धियां देखनी चाहिए उदाहरण के तौर पर हमारी शिक्षा के अधिकारों की वकालत या गरीबों के हकों के लिए

सरकार से मांग रखना। ऐसी अज्ञानता को हटाने के लिए यह तर्क समझना पड़ेगा कि हम सरकार के विरूद्ध नही बल्कि उनके साझेदार बनके काम करना चाहते हैं। एक क्षेत्र के रूप में अपनी चिंताओं को जताने में हमने सरकार को हमारे प्रति अपने व्यवहार को सुधारने के लिए कई अपीलें की हैं। हालांकि सरासर चालाकी से सरकार ने कानून के साथ छेड़छाड़ करके हम पर वक्त वक्त पर छोटे छोटे मुददो को लेकर हमला किया है। एफ.सी.आर.ए. आयकर और राजकोषीय उपकरणों के माध्यम से हमारे समाज सेवी काम को सीमित करने की कोशिश की है। ऐसी हरकतें यह बताती हैं कि हमें सरकार नजरअंदाज करना चाहती है। हालांकि समय–समय पर आरोप लगाने के बावजूद हमने सरकारी फरमानों का पालन अनुरूपता से किया है। हमारे क्षेत्र ने सारे दंडों को सहासी तरीके से झेला है ताकि सिर्फ अपने स्वैच्छिक क्षेत्र में पारदर्शिता लाया जाए। यह इस लिए है कि हमारी नैतिकता हमें आम जनता की सेवा करना सिखाती है। इस बात पर हमारी न्यायपालिकाओं ने हमेशा हमारे साथ न्याय किया है और आवश्यकता पड़ने पर दोषमुक्त किया है। हमारा अस्तित्व हमारे संविधान में हमारा हक है। उन अधिकारों को जब्त करना गैर संविधानिक है। वैसे तो हम भाग्यशाली हैं कि ऐसा मामला भारत में देखा नही गया पर अभी तक के अनुभव एक गंभीर भविष्य बताता है। सरकार से हमारी अपील है कि हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वह जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारी आलोचना उनके प्रति जनता में एक वैकल्पिक लोकप्रियता ढूंढने के लिए नही बल्कि उनको वास्तविक समर्थन और भागीदारी प्रदान करने के लिए है। हम मौजूद हैं सरकार का बोझ साझने के लिए ताकि एक समावेशी और कुशल समाज की और मिलकर काम करें। हालांकि हमारा लोकतंत्र नवजात है और धीरे–धीरे प्रकट हो रहा है बेहतर होगा कि हमें श्रय मिले कि हम समाज का एक अहम धटक हैं।

– अर्जुन कुमार फिलिप्स,
कम्युनिकेशन एक्जक्यूटिव, वाणी

पृष्ठ 2 का शेष

उत्पीड़न हो सकती है। यह महसूस किया गया है कि ज्यादा हस्तक्षेप और कार्यशाला आयोजित की जाए। प्रमुख पहलू पर सहमति बनी राज्य स्तर पर विनियामक वातावरण और इसके निहितार्थ पर कार्यशाला की जाए। संस्थाओं के मार्ग दर्शन के लिए क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति उनकी मदद करेंगे। अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में एफ.ए.क्यू. का प्रसार हो। वाणी ने ऊपर दिये हुए हस्तक्षेप से सहमति जताई और एक स्वैच्छिक समाज सेवियों का विद्ववानी समूह का गठन करने का प्रस्ताव रखा। तीसरे विषय पर बातचीत एफ.सी.आर.ए. से सम्बन्धित विभिन्न अनुभवों को लेकर था। प्रतिभागियों ने पिछले 5 वर्षों में एफ.सी.आर.ए. की विस्तृत समीक्षा का सुझाव भी दिया। हम सब ही जानते हैं कि कई संस्थाएं एफ.सी.आर.ए. में पारदर्शिता न होने के कारण नुकसान झेल रहे हैं। कई बार एफ.सी.आर.ए. विभाग ने एफ.सी.आर.ए. प्रणाली को लेकर अज्ञानता प्रकट की है। वाणी ने एफ. सी.आर.ए. बेहतर बनाने के लिए एक अनुसंधान आधरित वकालत प्रस्तुत की है। मुझे विश्वास है कि हमारे सहयोगी व सदस्य के समर्थन से इन उपेक्षाओं को वास्तविक बना पाएंगे। हम आपके सुझावों और टिप्पणियां चाहते हैं ताकि हमारे प्रयास से एफ. सी.आर.ए. को एक कम दर्दनाक कानून बनाया जाए।

हर्ष जेटली
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पोस्ट 2015 एजेंडा के लिए कार्यक्रम तय

अर्जुन कुमार फिलिप्स

अंततः वह समय आ ही गया, जब पूरी दुनिया के सभी देश सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य (एमडीजी) की समीक्षा के लिए तैयार हैं, जैसे कि 15 साल पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित मिलेनियम सम्मिट में अपनाया गया था। पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और उससे भी महत्वपूर्ण बात मिलेनियम घोषणा के तहत आठ सार्वभौमिक रूप से लागू लक्ष्यों के आसपास इसे संरचित किया गया था, यह इस बात को इंगित करता है कि एक गरीबी मुक्त समाज की स्थापना और उनके अधिकारों के लिए सार्वभौमिक पहुँच के साथ जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में योगदान कर उसका हल निकाला जा रहा हैं। व्यापक क्षेत्रों में मानव पूंजी (पोषण, हेल्थकेयर, और शिक्षा), जनहित के लिए आधारभूत संरचना का सृजन और मानवाधिकार की सुरक्षा के लक्ष्यों की पहचान की गई। गरीबी उन्मूलन के लिए एमडीजी का सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि सभी देश इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करें, एमडीजी एक हितधारक के रूप में उनके साथ है। वर्ष 2015 तक गरीबी को कम करने के मुख्य उद्देश्य के साथ वैश्विक सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे सफल प्रयास किया गया। इसके अलावा एमडीजी भी संबंधित देशों द्वारा प्राप्त की गई प्रगति के अवलोकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का निरीक्षण किया जिससे कि विकासात्मक सहयोग के लिए समर्थन किया जा सके। हालांकि एमडीजी के कुछ लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी प्रेरणा से काम किया गया है (अनुमान के अनुसार संयोग से दुनिया में गरीबी है) (विकास 2013 पर यूरोपीय रिपोर्ट), यह महसूस किया जा रहा कि उनमें से पर्याप्त संख्या में इससे काफी दूर हैं, भारी संख्या में टिप्पणीकारों ने एमडीजी के लक्ष्यों की प्राप्ति को अपनाये जाने के मानदंडों की आलोचना की है। कई आलोचक एमडीजी की स्थापित आठ संकेतक तक उनकी पहुंच के खिलाफ मुखर भी हुए हैं। अमेरिका और यूरोप में वित्तीय संकट के बाद गरीबी के संरचनात्मक कारणों के प्रति अज्ञानता किसी व्यक्ति की 'भलाई' तो सुनिश्चित कर सकती हैं लेकिन लक्ष्यों की व्यवहार्यता के बारे में एक बहस पैदा कर दी है। गरीबी उन्मूलन के लिए अलग–अलग दृष्टिकोण के व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है जो कि असमानता को कम करने पर आधारित है। इस प्रकार 2015 के बाद के एजेंडा से सबंधित विषयों की गूंज और स्थायी समाधान प्रदान के लिए एक खाका की आवश्यकता है। एमडीजी के समाप्त होने के बाद एक समीक्षात्मक तंत्र स्थापित करने के लिए एक जरुरत के रूप में पोस्ट 2015 एजेंडा उभर कर सामने आया है। आवश्यकता इस बात की होगी कि एमडीजी की समाप्ति के बाद भविष्य की रणनीति क्या और किस रूप में होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न देशों की सरकारों ने लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में गिरावट को देखा और अत्याधुनिक रणनीति 'संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि घोषणा और 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन के परिणाम से उत्पन्न सभी लोगों के आर्थिक और सामाजिक उन्नति' का खाका खींचने की पहल की। इसका नतीजा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने यूएन सिस्टम टास्क टीम का गठन किया है और 2015 के बाद के विकास योजना के लिए विशेष सलाहकार नियुक्त कर रहे हैं। इन प्रक्रियाओं के लिए पूरक के रूप में, क्राउडसोर्सिंग जिसे कि एक डिजिटल इंटरफेस के रूप में जाना जाता है, उसे यूएनडीजी की वैश्विक विषयक और 88 देशों में नेशनल कंसल्टेशन के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, जो कि दुनिया के किसी भी हिस्से से लोगों को इस सिस्टम में अपने इनपुट फिड करने में सक्षम बनायेगा जिसकी गरीबी–उन्मूलन के लक्ष्य के अगले चरण के लिए आवश्यकता होगी।

एमडीजी की समीक्षा

एमडीजी युग वाले पिछले दशक ने दिखाया है कि इससे गरीबी को एक स्तर तक ही कम किया जा सका है, हालांकि यह भी सभी देशों में नहीं था जैसा कि भारत, चीन, और ब्राजील और कुछ अफ्रीकी देशों के प्रवृत्ति के लिए इसे और अधिक लागू किया गया था। पोस्ट 2015 संवाद काफी हद तक प्रभुत्व वाला है और इसे अधिक समावेशी होने की आवश्यकता है और स्थायी लक्ष्यों के सृजन में बहुतायात कारक शामिल हैं, जो गरीबी उन्मूलन में इसकी व्यावहारिकता को निर्धारित करती है और मानव विकास में योगदान करती है। वैसे भी एमडीजी की सफलता और विफलता का विश्लेषण राष्ट्रीय लक्ष्य और प्राथमिकताओं के प्रति भ्रमित नहीं करता। यह वैश्विक लक्ष्य है जिससे कि सांख्यिकीय संकेतक से एकत्रित किया जा रहा है। एमडीजी की समीक्षा उन अवसरों को उपलब्ध कराता है जिससे कि उस रिक्तता की पहचान हो सके जिससे कि कुछ ऐसे विषय वस्तु निकल कर सामने आएं जिससे एक स्थायी फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। एमडीजी को तब अपनाया गया जब वैश्विक गरीबी बड़े स्तर तक फैल चुकी थी खास कर अफ्रीका और एशिया में। एमडीजी के सात सार्वभौमिक लक्ष्यों में प्राथमिक शिक्षा, पोषण, लिंगानुपात, आय आधारित गरीबी की खाई को पाटना, बाल व मातृ मृत्युदर कम करना और स्वच्छ जल व स्वच्छता के अधिकार शामिल थे। विशिष्ट मैक्रो नीतियों पर एक व्यैक्तिक आधारित देशों द्वारा अंकुश लगाया गया, जिसके नतीजे सफल रहे, खास कर कुपोषण के स्तर को कम करने में, सार्वभौमिक तौर पर प्राथमिक शिक्षा तक सबकी पहुंच और एशिया में बाल मृत्युदर कम करने तथा साथ ही अफ्रीका में मातृ मृत्युदर कम करने में सफलता मिली। जब हमने गैर आय वाली गरीबी की तुलना में आय वाली गरीबी लक्ष्यों का विश्लेषण किया तो पाया कि चरम स्तर के आय वाली गरीबी में कमी आई है, जहां 1990 में 43 प्रतिशत लोग 1.25 डॉलर से भी कम में प्रति दिन गुजारा करते थे वहीं 2008 में यह आंकड़ा घट कर 22.4 प्रतिशत (विश्व बैंक) तक आ गया। वहीं दूसरी तरफ हमने अपने विश्लेषण में देखा कि एमडीजी द्वारा उनके बड़े स्तर पर कवरेज की वजह से गैर आय वाली गरीबी के लक्ष्य को काफी हद तक पाया गया लेकिन दूसरे की उदासीनता को भी प्रदर्शित किया। 1990 के बाद पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण के अनुपात में कमी आई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 90 और 95 प्रतिशत के बीच नामांकन के साथ एक सार्वभौमिक दर्जा हासिल किया गया है। वैश्विक स्तर पर मातृ मृत्यु दर में भी काफी हद तक कमी आई है लेकिन तब भी अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र में अभी भी मातृ मृत्यु दर लगातार ज्यादा ही है। खास कर एचआईवी से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या की वजह से एमडीजी इसका सफलता पूर्वक नियंत्रण नहीं कर पाई जबकि स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता को लेकर भी उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कुल मिला कर एलडीसी अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल नहीं रहा, जब हम विकसित देशों से तुलना करते हैं और हमें जो सूचनाएं मिलती हैं उसके अनुसार गरीबी उन्मूलन की दिशा में उनके प्रयास पर्याप्त नहीं हैं।

एमडीजी का वारिस : एसडीजी

सतत विकास के लक्ष्यों को रियो 20 में आयोजित होने वाले सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के अगले स्तर को 'हम ऐसी दुनिया चाहते हैं' के रूप में मंजूर किया गया है, जो कि महासभा की 68वें सत्र में सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए माकूल एक्शन के लिए एक मुक्त कार्य समूह स्थापित करने का जनादेश था। यह उनकी अवधारणा के लिए ठोस आधार भी मुहैया करता है। रियो से प्राप्त जनादेश संयुक्त राष्ट्र के 2015 के बाद के विकास के एजेंडा को ले एसडीजी सुसंगत के साथ एकीकृत भी हो सकता है। यह आम सहमती बनी है कि एमडीजी को एसडीजी के रूप में परिणत किया जाए, जो कि समावेशी और स्थिरता के लिए होगा। इसी तरह, यह आर्थिक रूप से टिकाऊ, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और कानूनी रूप से अनुकूल उद्देश्यों वाले विकास के लिए नया दृष्टिकोण है। इस जनादेश ने गरीबी उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और 2030 की समाप्ति तिथि के साथ खपत और उत्पादन के सतत पैटर्न को बढ़ावा दे रहा है। निम्नलिखित दृष्टिकोण ने दर्शाया है कि कई हितधारक इसका काफी करीब से विरोध कर रहे हैं और यह दस्तावेज समावेशी सुविधाओं के लिए एक बहस का द्वार खोल रहा है। पोस्ट 2015 एजेंडा एक भागीदारी, समावेशी और बॉटम–अप प्रक्रिया के रूप में उभरेगा तथा यह विशेषज्ञों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा परिभाषित किया जाएगा, जो कि पहले की परिभाषित व्याख्याओं से बिलकुल अलग होगा। एमडीजी के परिप्रेक्ष्य में एसडीजी में क्या विशिष्टता है, विश्व स्तर पर अपीलीय और सार्वभौमिक प्रयोज्यता, या फिर कुछ करने को सीमित किया जा रहा है। जबकि एमडीजी के लक्ष्यों को एक सेट पैटर्न के आसपास बुना गया था तथा एसडीजी ने विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संकेतक के साथ एक समग्र आधार पर पैदा किए जाने की उम्मीद जगायी है। परिणाम संकेतक के मामले में एमडीजी की विशिष्टता को लेकर ध्यानाकर्षित करने वाली आलोचना (घोष

2014) की गई। एसडीजी एमडीजी की दिशा में एक अनुक्रमिक कदम है और यह इसकी समानांतर प्रक्रिया नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि एसडीजी उत्तर और दक्षिण के बीच चौंका देने वाले अंतराल को कम करने के लिए एक खाका हैं। इसके अतिरिक्त यह स्थायी लक्ष्यों को अपनाने से केवल पर्यावरण चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के साथ पर्यावरणीय स्थिरता के साथ मानव विकास के ओवरलैप को देखने के लिए भी प्रासंगिक हो जाता है। 1972 में स्टॉकहोम डिक्लियरेशन के दौरान स्थिरता का मुद्दा प्रमुखता के साथ उभर कर सामने आया था, जहां विकास के लिए एक नए प्रतिमान को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि विकास के लिए भविष्य की जरूरतों को पर्यावरण के क्षरण के इशारे पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए विकास को इस चश्मे से देखने के लिए एक अलग आयाम का रेखांकन किया गया जिससे कि मानव विकास और गरीबी कम करने के पूरक कारक को समझा जा सके। नागरिक समाज के सदस्यों के साथ कई विचार–विमर्श करने के बाद, यह महसूस किया गया कि एमडीजी पूरी तरह से विफल नहीं था बल्कि उसने धुंधला ही सही लेकिन एक प्रारूप उपलब्ध कराया था। (पोलार्ड 2011। हालांकि यह हमेशा महसूस किया जाता है कि सब को गले लगाने वाले वैश्विक सुधार के लक्ष्यों को गरीबी में कमी लाने के एजेंडे को जारी रखने के लिए विकसित किया जाए। इसलिए एसडीजी ने संसाधनों, व्यापार और ओडीए के आवंटन के लिए सुसंगत नीति दिशा–निर्देश प्रदान करके सभी स्तरों पर न्याय पर सामाजिक एकजुटता और मानव प्रगति के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है। इसके अलावा एसडीजी को भी व्यवस्थित बनाने और दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रतिमान में सभी मौजूदा ओडब्ल्यूजी की सिफारिशों को अनुक्रमित करने की आवश्यकता होगी। एसडीजी पोस्ट 2015 एजेंडे का एक घटक है, जो कि सही मायनों में एक परिवर्तनकारी एजेंडे के रूप में होता है।

1972 में स्टॉकहोम डिक्लियरेशन के दौरान स्थिरता का मुद्दा प्रमुखता के साथ उभर कर सामने आया था, जहां विकास के लिए एक नए प्रतिमान को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि विकास के लिए भविष्य की जरूरतों को पर्यावरण के क्षरण के इशारे पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए विकास को इस चश्में से देखने के लिए एक अलग आयाम का रेखांकन किया गया जिससे कि मानव विकास और गरीबी कम करने के पूरक कारकं को समझा जा सके।

एसडीजी के लिए अनुदान और ओडीए

पोस्ट 2015 पर निहितार्थ आधिकारिक विकास सहायता के महत्व को पहचानने के लिए एक न्यूनतम स्तर तक गरीबी को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में स्पष्ट किया गया था (जनादेश द्वारा विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकासशील देशों के प्रति अपनी जीएनआई 0.7 प्रतिशत बंद कर अपनाना)। ओडीए की भूमिका धन के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में एक प्रभावी माध्यम के तौर पर देखा जाता है (जिसका गठन मुख्यतः नागरिक समाज करता है)। विशेष रूप से कम विकसित देशों के लिए ओडीए लगातार महत्वपूर्ण रहेगा। इसका ट्रैक रिकार्ड अब तक अंधकारमय ही हैः वर्ष 2011 में, ओईसीडी दानदाता देशों ने कुल 133.5 बिलियन डॉलर का ओडीए दिया (जो कि संयुक्त जीएनआई का 0.31 प्रतिशत के बराबर है), जो 300 बिलियन डॉलर के ओडीए के प्रति अपनी वचनबद्धता से 166. 8 बिलियन की एक बड़ी कमी को परिलक्षित करता है (जो संयुक्त जीएनआई का 0.7 प्रतिशत के बराबर है) (ओईसीडी 2011)। हालांकि एक नई बहस उभरी है जिसे कि 'बियांड एड' कहा गया है (विकास पर यूरोपीय रिपोर्ट)। निश्चित रूप से इस तरह के प्रयास को एलडीसी के बहुमत के लिए व्यावहारिक नहीं समझा जाएगा और ओडीए के रूप में विकासशील देशों के विकास को आगे बढ़ाने में एक निर्धारण कारक की भूमिका का निर्वाह करता है और लाखों लोगों को गरीबी से ऊपर उठाता है। यह देखा गया है कि धन के स्रोतों के लिए पूंजी बाजार उनके उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं है तब भी ओडीए इस प्रकार एक आवश्यक घटक बन जाता है। प्रेषण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के बाद स्थिर सहायता का प्रवाह आवश्यक हो जाता है क्योंकि यह सहायता के रूप में इसे कमजोर राज्यों के लिए सबसे बड़ा वित्तीय आमद का प्रतिनिधित्व करता है। ओडीए नए विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में एक उम्मीद है। मॉन्टेरी घोषणा (2002) ने सहायता की तुलनात्मक लाभ की सटीक पहचान की है 'ओडीए विकास के लिए वित्त पोषण के

अन्य स्रोतों के लिए एक पूरक के रूप में आवश्यक भूमिका निभाता है, खास कर उन देशों के साथ जो कि कम से कम क्षमता के बाद भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित कर रहे हैं।'

विभिन्न प्रकार के शोधों ने इस बात की पैरवी की है कि इस तरह के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रगतिशील कराधान और निजीकरण के रूप में घरेलू संसाधन जुटाने के साथ ओडीए का एक प्रतिस्थापन होगा। लेकिन वित्तीय बाजार में उतार–चढ़ाव को देखते हुए, ऐसे प्रयास गरीबी–आय असमानताओं को कम करने के लिए तर्कसंगत नहीं होंगे। सहायता प्रभावशीलता पर बुसान घोषणा 2015 द्वारा उत्तर से दक्षिण तक सहायता में सुधार की मांग करता है जो कि सहयोग और समझ के स्तर को मजबूत बनाने में और ओडीए पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है। गरीबी का मुकाबला करने के लिए चुनौतियों की जटिलता को देखते हुए और पोस्ट 2015 एजेंडा के प्रति प्रतिबद्धताओं को पूरा करने को लेकर सहायता लक्ष्यों की स्थिरता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण इनपुट होगा। ओडीए के अलावा, नागरिक समाज काफी हद तक विदेशी निजी सहायता पहल और विभिन्न परोपकारी संगठनों से मिलने वाले धन पर निर्भर है। इस संबंध में एक अनुमान के आधार पर विश्व बैंक ने उल्लेख किया है कि आज की तारीख में निजी सहायता अनुमानतः 60–70 बिलियन डॉलर सालाना है, जो सभी ओईसीडी–डैक के सदस्यों द्वारा एक वर्ष में वितरित की गई राशि ओडीए का लगभग आधा है। विदेशी निजी सहायता नागरिक समाज के कार्यों को गति देने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में हैं जो कि नागरिक समाज संगठनों के कार्यों पर सीधा प्रभाव डालता है तथा अपनी विभिन्न प्रकार की पैरवी और परियोजनाओं को मजबूत बनाता है। पोस्ट 2015 एजेंडा को लेकर कई गैर सरकारी संगठनों का दुनिया भर में नागरिक समाज संगठन के रूप में उल्लेख है, जो विचार–विमर्श के लिए सलाह और आमंत्रण देते हैं तो क्या एसडीजी के समग्रता के रूप में विचार–विमर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। नागरिक समाज संगठनों को उत्प्रेरक के रूप में देखा गया और यह विकास में अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से एसडीजी के विकास के लिए एक वातावरण को बढ़ावा दे सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, पोस्ट–2015 एजेंडा के लिए निर्धारित सहायता प्रभावशीलता स्वायत्त /सीएसओ/ गैर सरकारी संगठनों के साथ अपेक्षाकृत निर्धारित किया जाना चाहिए। यह एक स्पष्ट अभिकथन है कि नागरिक समाज समूहों के लिए उदार वित्त पोषण सामाजिक मुद्दों को निपटाने के क्षमता निर्माण और नवीन उपकरणों को डिजाइन करने में तथा संगठनात्मक निवेश को मजबूत करने में सहायक होता है। किसी सरकार के विशाल आकार के कारण, एक विकेन्द्रीकृत मॉडल यानी नागरिक समाज समूहों की तैनाती के रूप में एसडीजी का प्रशंसनीय मार्ग गरीबी उन्मूलन में जीत के प्रति आश्वस्त करता है।

एजेंडा की पूर्ति के लिए स्वयंसेवा एक आवश्यकता

देखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने पोस्ट 2015 संवाद की दिशा में स्वयंसेवकों के योगदान को बताते हुए स्पष्ट किया था कि एमडीजी के समावेशी और टिकाऊ होने के पीछे इसी का योगदान था। संयुक्त राष्ट्र की स्वयंसेवी रिपोर्ट 'इंटेग्रेशन वोलंटियरिंग इन द नेक्स्ट डिकेड 2016–2025' में स्वयंसेवियों की भूमिका को रेखांकित किया गया है। ठीक मिलेनियम डिक्लियेरेशन के शुरू में ही, स्वयंसेवा विकास की चुनौतियों का सामना करने में एक अभिन्न गतिविधि के रूप में पहचाना जाने लगा। वर्ष 2011–2012 में, आईवाईवी की 10वीं सालगिरह पर एक मोमेंटो बनाया गया, जो वैश्विक स्तर पर हितधारक को चिन्हित करता था, नीतियों की सिफारिशों और विषयगत विचार–विमर्श का एक मंच विकसित किया, इसका उद्देश्य था कि आगे की नीतियों और रणनीतियों में स्वयंसेवा को एकीकृत किया जाए। वृद्धि, विकास और पहल के लिए स्वयंसेवा को एक 'वैल्यू एडिशन' के रूप में मान्यता दी गई तथा सराहना की गई, जिसका उद्देश्य है कि उन कार्यों के लिए एक अनुकूल माहौल बनाया जाए तथा उसे सक्षम किया जाए। स्वयं सेवा का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा क्योंकि इसकी पहुंच वहां तक सीधी थी, और इसके कारण 'समावेशी' और 'भागीदारी' से जुड़ा यह मकसद पोस्ट 2015 एजेंडा के लिए उत्पादक हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के स्वयंसेवा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों तक इसकी पहुंच इस बात का प्रमाण और जानकारी उपलब्ध कराती है कि विकास के लिए स्वयंसेवियों का क्या योगदान है। 2012 से ही, नागरिक समाज संगठनों के विभिन्न समूह दुनिया भर में संगठित होकर मापदंडों को फ्रेम करने के लिए सक्रिय कर दिये गये हैं, जिन्हें एजेंडा के दस्तावेजों में शामिल किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया है कि कई देश संयुक्त कार्य योजना का मसौदा तैयार करने में स्वयंसेवकों का समावेश कर रहे हैं जिसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील बनाने के क्रम में सिफारिशी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गरीबी के खिलाफ लड़ाई के प्रयासों के लिए वैश्विक आह्वान के साथ, दुनिया के दक्षिणी हिस्से का ध्यान आकर्षित करने की प्रयास की प्रक्रिया है। यह नेटवर्क दुनिया भर में गैर–सरकारी संगठनों द्वारा बनाया गया है, गरीबी को बनाए रखने और अस्तित्व और शांति के लिए

आवश्यक मानव अधिकारों, लैंगिक न्याय, सामाजिक न्याय और सुरक्षा की रक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण संस्थाओं और प्रक्रियाओं के द्वारा पोस्ट 2015 संवाद की दिशा में प्रगति का विश्लेषण किया गया। अपने–अपने देशों की सरकारों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की अपील, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, जीसीएपी की चर्चा की योजना जो अभी तक सहस्राब्दी लक्ष्यों की परिधि के बाहर बने रहे। संक्षेप में, जीसीएपी का उद्देश्य है कि वह एचएलपी में उसे क्या प्राप्त हुआ है उसका आकलन प्रस्तुत करे और पोस्ट 2015 एजेंडा के नारा'लीविंग नो वन बिहाइंड' की मूल भाव को मजबूत करने में सुधार की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

इसका कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है कि पोस्ट 2015 एजेंडा एक निर्णायक योजना बन जाएगी, जो स्थिरता और विकास के लिए एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित हो जाएगी। विभिन्न लक्ष्यों का एकीकरण और उनके संबंधों की खोज 2015 के बाद नतीजे देगा, खास कर तेजी से बढ़ते जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के मामले में। यह विकासशील देशों के सामने औद्योगिकीकरण को कम करने की चुनौती पेश करेगा जो कि उनकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा और इसकी वजह से विकास का स्तर नीचे आएगा। दरअसल, जलवायु परिवर्तन और विकास अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, दोनों प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक विकास के लिए नीतियां और निवेश लाभदायक है, जब कि उसे बेहतर ढंग से डिजाइन किया गया हो या समान नीतियां व निवेश जलवायु परिवर्तन के कारणों से उपजे परिणामों से निपट सकते हैं। ओडब्ल्यूजी को बनाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए एक अनुकूल समाधान खोजने की दिशा में एसडीजी की अधिकतम भागीदारी के साथ जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सभी देशों के लिए है। इसलिए तीसरी दुनिया के देशों में आगे गरीबी उन्मूलन और सतत विकास की दृष्टि से एक मुद्दे के रूप में जलवायु परिवर्तन चर्चाओं को रिफ्रेम करने की जरूरत है। विकासशील और कम से कम विकसित देशों के कब्जे में इस अनिश्चित स्थिति के समाधान का आग्रह एक दोधारी तलवार की तरह है। वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि पारिस्थितिक स्थलकृति में व्यावधान डालता है, भारी संख्या में गरीब लोग जंगलों, कृषि, मत्स्यपालन पर निर्भर हैं, जो प्रभावित होंगे, राष्ट्रीय सरकारों को उनके लिए वैकल्पिक रोजगार के साधन तलाशने होंगे। आर्थिक स्थिरता के लिए जलवायु परिवर्तन एक बड़े खतरे के रूप में प्रमाणित हो चुका है। यह आह्वान राष्ट्रीय स्तर पर ओवरलैपिंग नीतियों के निर्माण के लिए है, जो कि सभी कारकों–आर्थिक विकास से लेकर जलवायु परिवर्तन के बीच संतुलन बनायेगा जो कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। 2015 में प्रतीक्षित एक और विकास, एक दूसरे के साथ इसका सम्मेलन महत्वपूर्ण यूएनएफसीसी 2015 और पोस्ट 2015 की बैठकों में किया जाएगा। यह ऐतिहासिक घटना एक निर्णायक जनादेश का उद्धार करेगा जो कि भविष्य के लिए प्रभावी रोडमैप साबित होगा। अंत में, स्वयंसेवा एक टिकाऊ भविष्य की तलाश के लिए हमारी खोज में एक उन्नत रणनीति के रूप में मान्यता प्राप्त कर लिया है, यह नागरिक व्यस्तता के कारण अंततः कार्रवाई के लिए एक समावेशी ढांचा उपलब्ध कराने के परिणाम के रूप में होगा।

संदर्भ :

1. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518SDGs_FINAL_Proposal%20of%20OWG_19%20July%20at%201320hrsver3.pdf)
2. http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/jan_vandemoortele_Aug.pdf
3. http://post2015.org/2014/11/10/delivering-and-implementing-the-post-2015-agenda-at-the-country-level
4. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/WB-PREM%20financing-for-development-pub-10-11-13web.pdf
5. http://www.volunteeractioncounts.org/images/post2015/Downloadcenter/10YAP_Concept_zerodraft180814.pdf
6. http://www.whiteband.org/en/node/631n
7. http://www.irf2015.org/sites/default/files/publications/Retreat%20%232_Background_Paper_6_CC.pdf

– अर्जुन कुमार फिलिप्स,
कम्युनिकेशन एक्जक्यूटिव, वाणी द्वारा प्रस्तुत

एफसीआरए के तहत गैर पंजीकृत संगठनों को धन हस्तानांतरण

एफएमएसएफ

प्रस्तावना

1.1.1 विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) 2010 के प्रावधानों के अनुसार, एक एनपीओ विदेशी अंशदान केवल तभी स्वीकार कर सकता है, जबकि वह पहले से या फिर एफसीआरए के तहत पंजीकरण के समय अनुमति ले चुका हो। इस मामले में संबंधित कानून को ऐसे एनपीओ द्वारा किये गये किसी भी अनुदान के लिए समझना महत्वपूर्ण है। एफसीआरए के तहत एफसी पंजीकृत एनपीओ आगे किसी दूसरे संगठन को तभी योगदान कर सकता है, जो संगठन एफसीआरए के तहत पंजीकृत हो या पहले से अनुमति लिया हो।

1.1.2 हालांकि विशेष परिस्थितियों में एफसीआरए के गैर पंजीकृत संगठन को भी किसी एनपीओ को धन हस्तानांतरण की अनुमति होती है। इस मुद्दे पर हम लोग एफसीआरए द्वारा गैर पंजीकृत व पहले से अनुमति नहीं लिये गये किसी संगठन को विदेशी अंशदान हस्तानांतरण से संबंधित कानूनी प्रावधानों में चर्चा करेंगे।

क्या किसी गैर पंजीकृत संगठन को धन हस्तनांतरण अनुमति योग्य है?

1.2.1 हां, कोई दूसरा संगठन जो एफसीआर द्वारा ना तो अनुमति लिया है और ना ही पंजीकृत उसे धन हस्तानांतरण अनुमति योग्य है। हालांकि ऐसे हस्तांतरण केवल तभी हो सकते हैं जब अधिनियम 24 और धारा 7 के अनुपालन करते हुए पहले से अनुमति लिया गया हो। इस तरह के अनुपालन का एक स्नैपशॉट इस मुद्दे के अंत में प्रदान कियागया है। धारा 7 और अधिनियम 24 के प्रावधानों को नीचे दिया गया है।

7. किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी योगदान स्थानांतरित करने के लिए निषेध।

वह व्यक्ति नहीं, जिसने–

क) पंजीकरण और प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो और इस अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त की हो: और,

ख) कोई विदेशी अनुदान प्राप्त किया हो, वह ऐसे विदेशी अनुदान किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर सकता है जो दूसरा व्यक्ति भी पंजीकृत हो और उसे इस अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति या प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो,

बशर्ते कि, ऐसा व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन के आधार में स्थानांतरित कर सकता है, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इस तरह के विदेशी अनुदान को किसी दूसरे व्यक्ति को भी हस्तांतरित किया जा सकता है जिन्हें कोई प्रमाण पत्र या अनुमोदन इस अधिनियम के तहत नहीं प्राप्त है।

1.2.2 एफसीआरआर, 2011 के अधिनियम 24 में नीचे विदेशी योगदान के हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है:

अधिनियम 24 :– अन्य पंजीकृत या गैर पंजीकृत व्यक्तियों को विदेशी योगदान के हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया

1. वैसे व्यक्ति जिसे धारा 11 के तहत पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो या फिर उसे पूर्व अनुमति दिया गया हो और विदेशी योगदान प्राप्त करने वाला व्यक्ति चाहे तो उस योगदान राशि का कुछ हिस्सा इस अधिनियम के तहत वैसे व्यक्ति को हस्तानांतरित कर सकता है जिसे कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं प्रदान किया गया है या उसने पूर्व में इस संबंध में कोई अनुमति नहीं ली हो, इस प्रकार का हस्तांतरण कुल राशि का 10 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता है और इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार के पास एफसी–10 आवेदन किया जा सकता है। http://mha.nic.in/fcra/forms/fc-10.pdf
2. उप नियम (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन आशय की घोषणा के साथ किया जाएगा कि

क) चालू वित्त वर्ष में प्राप्त विदेशी अनुदान राशि का दस फीसदी से कम राशि ही प्राप्तकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को संबंधित वित्त वर्ष में हस्तांतरित किया जाएगा।

ख) कोई अंतरणकर्ता तब तक विदेशी अनुदान की कोई राशि किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकता, जबतक कि केंद्र सरकार इस तरह के हस्तांतरण को मंजूरी नहीं दे देती।

3. वैसे किसी व्यक्ति को जिसे कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो या फिर उसे धारा 11 के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त हो, उसे प्राप्त विदेशी अनुदान के किसी दूसरे व्यक्ति को जिसे कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो या फिर उसे तहत पूर्व अनुमति प्राप्त हो, उसे हस्तातरण के लिए केंद्र सरकार से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अधिनियम के प्रावधानों के अधिन प्राप्तकर्ता के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाही नहीं की जाएगी।

4. अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों ही विदेशी अनुदान राशि के उपयोग को सुनिश्चित करने को लिए जवाबदेह होंगे, इसलिए विदेशी अनुदान राशि हस्तांतरित और ऐसे हस्तांतरण की राशि फार्म एफसी–6 में रिटर्न के समय परिलक्षित होने चाहिए और इसे अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों ही जमा करेंगे।

गैर पंजीकृत संगठनों को धन के हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया

1.3.1 निम्नलिखित प्रक्रियाओं का होता है पालनः

– दानदाता संगठन प्रपत्र–10 के साथ केंद्र सरकार के पास आवेदन कर सकेंगे। यह आवेदन पत्र http://mha.nic.in/fcra/forms/fc-10.pdf पर उपलब्ध है।

संशोधित प्रारूप–विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2012 {जीएसआर। 292 (ई) दिनांक 12 अप्रैल, 2012}

– इस प्रावधान के तहत दानदाता संगठन से कुल विदेशी अंशदान का 10 फीसदी ही प्राप्त किया जा सकता है और इसे गैर पंजीकृत संगठनों को पूर्व अनुमोदन के आधार पर दिया भी जा सकता है।

– उप नियम (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन आशय की घोषणा के साथ किया जाएगा कि

क) प्रस्तावित चालू वित्त वर्ष में प्राप्त विदेशी योगदान राशि का दस फीसदी से कम राशि ही प्राप्तकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को संबंधित वित्त वर्ष में हस्तांतरित किया जाएगा।

ख) अंतरणकर्ता विदेशी अंशदान के किसी भी राशि को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता, जबतक कि हस्तांतरण से संबंधित अनुमोदन केंद्र सरकार ने प्राप्त हो जाए।

– अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों ही विदेशी योगदान राशि के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होंगे, इसलिए विदेशी योगदान राशि हस्तांतरित और ऐसे हस्तांतरण की राशि फार्म एफसी–6 में रिटर्न के समय परिलक्षित होने चाहिए और इसे अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों ही जमा करेंगे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, में संशोधन 2012 {जीएसआर। 292 (ई) दिनांक 12 अप्रैल, 2012} है, इसके तहत प्रपत्र एफसी–10 को भरने के लिए जिलाधिकारी से अनुमोदन आवश्यक था। अधिनियम 24 में संशोधन के बाद अब जिलाधिकारी से अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

– यह पेपर फाइनेंशिएल मैंनेजमैंट सर्विस फाउंडेशन (एफएमएसएफ) द्वारा तैयार किया गया है

नेतृत्व वाक् :

एरिका बोर्नस्टैन

एरिका बोर्नस्टैन यूनिवर्सिटी आफ विस्कॉन्सिन–मिल्वौकी में मानविज्ञानी है और उन्होंने वर्ष 2012 में 'स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति' में व्यापक योगदान दिया है। इस साक्षात्कार में उन्होंने भारत में अपने अनुभवों के बारे में चर्चा की, वह यहां स्वैच्छिक क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र पर किताब भी लिखी और उस पर बात की।

एक मानवविज्ञानी के रूप में, किसी देश में नागरिक समाज की भूमिका को आप किस रूप में देखती हैं?

नागरिक समाज लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। स्वैच्छिक क्षेत्र में संगठन और समूह नवाचार और इसी तरह असहमति, बातचीत और चर्चा के लिए एक समाजिक स्थान मुहैया कराते हैं। किसी भी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की बहुलता की आवश्यकता होती है और नागरिक समाज इसकी गारंटी देता है कि सत्ता के पास बहुत ज्यादा कार्यपालक की शक्ति नहीं होगी। ये संस्थान नियंत्रण और संतुलन की व्यापक प्रणाली का हिस्सा हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि सत्ता और बाजार अपनी सीमा से बाहर ना जाएं।

क्या आप अपनी किताब के बारे में कुछ कहेंगी?

मैं विनियमन के नृवंशविज्ञान लिख रही हूँ, जो भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र पर केंद्रित है। मैंने अध्ययन किया है कि कैसे भारत में सरकार स्वैच्छिक क्षेत्र पर नियमन करने की कोशिश कर रही है, ऐतिहासिक दृष्टि से, और कैसे इस क्षेत्र ने अपने स्वयं के विनियमन के बारे में राज्य के साथ बातचीत की है। मैं इसे एक गतिशील संवाद के रूप में देखती हूं।

स्वैच्छिक संगठनों की स्थिति पर अध्ययन रिपोर्ट में योगदान के संबंध में आपके अनुभव...

मैंने 2012–12 में वाणी के साथ काम कर बहुत कुछ सीखा है। मैंने जब वाणी के कर्मचारियों के साथ स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति पर रिपोर्ट को लेकर काम शुरू किया, उस समय मैं भारत में छुट्टी पर थी। एक अकादमिक होने के नाते, मैंने दूसरे लेखकों के साथ मिल कर लिखा, लेकिन मैंने कभी एक टीम के रूप में काम नहीं किया और वह वास्तव में काफी दिलचस्प था। मैने कभी इस तरह की रिपोर्ट भी नहीं लिखी थी, जिसके लिए आपके विचारों में अधिक स्पष्टता की आवश्यकता थी जिससे कि वह ज्यादा लोगों तक पहुंचे। यह मेरे लिए काफी अच्छा अनुभव था। सामग्री के संदर्भ में, मैं आश्चर्यचकित थी कि इस रिपोर्ट को सभी पर लिखा जा सकता था। अमेरिका में, जहां कि मैं रहती हूं और यूनिवर्सिटी आफ विस्कॉन्सिन–मिल्वौकी में पढ़ाती हूं, वहां स्वयंसेवी संगठनों (अमेरिका में इसे गैर लाभकारी संगठन कहा जाता है) की प्रतिष्ठा कोई खराब नहीं है और उनके प्रति इस तरह का संदेह नहीं किया जाता है जैसा कि भारत में है। इसके अलावा, तुलनात्मक रूप से सोच रही है कि, अमेरिका गैर लाभकारी को टैक्स कोड द्वारा नियमन करता है। सभी गैर लाभकारी संगठन जनहित के लिए काम करते हैं और उन्हें 501सी3 की तरह पंजीकृत होना आवश्यक है। भारत में इस संबंध में काफी अधिक कानूनी जटिलताएं हैं और यह एक चुनौती है और मैं इस पर जो पैराग्राफ लिख रही हूं उसमें इसे संहिताबद्ध कर रही हूं, एक मानवविज्ञानी के रूप में सामाजिक स्थानों के अध्ययन के लिए काफी उत्साहित रही हूं।

भारत के स्वैच्छिक क्षेत्र में वाणी की भूमिका के संबंध में आपके अनुभव क्या थे?

भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और विविध है! मैं हमेशा ही आश्चर्यचकित रहती हूं कि इसका वर्णन करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं सोचती हूं कि इस क्षेत्र के लिए यह बड़ी चुनौती है कैसे 'यह' का प्रतिनिधित्व कब 'यह' मुश्किल हो जाता है। जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं वे इसे जानते हैं, स्वैच्छिक क्षेत्र में सामाजिक कार्य समूह, सामुदायिक विकास संगठन, सामाजिक आंदोलन, गैर–लाभकारी संगठन, गैर–सरकारी संगठन, सरकार द्वारा गठित एनजीओ और दूसरे सोसाइटिज के रूप में पंजीकृत संस्थान, ट्रस्ट या दातव्य कंपनी भारत में शामिल हैं। बहरहाल, मैंने पहले भी कहा है, यह क्षेत्र भारतीय सामाजिक जीवन और राजनीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित और संतुलित रखता है, और यह हासिये के लोगों की पैरवी करता है और खुद की पैरवी करने के लिए इसके पास संसाधन तक नहीं है और यह अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद कर सकते हैं। गैर लाभकारी प्रकृति वाला यह क्षेत्र जनहित के सभी रिक्त स्थान में प्रवेश करने की अनुमति देता है जहां, बाजार को लाभ नहीं दिखता और जहां सरकार सेवा देने तथा शासन संचालन में अक्षम है। यह महान सृजनात्मकता के लिए माकूल स्थान है।

राष्ट्रीय सरकारों द्वारा शुरू की गई आक्रामकता को देखते हुए आपको क्या लगता है कि नागरिक समाज का नेटवर्क इस तरह के झटके झेलने के लिए पर्याप्त लचीला हैं?

बिल्कुल! ये झटके इस बात के सबूत हैं कि नागरिक समाज का नेटवर्क ध्यान देने के योग्य हैं।

स्वयंसेवी संगठनों के समक्ष अवसर व चुनौतियों पर पहाड़ी क्षेत्रीय कार्यशाला

वाणी

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों के समक्ष चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा के लिए एक मंच मुहैया कराने के उद्देश्य के साथ हिली क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन वाणी द्वारा चंडीगढ़ में कामनवेल्थ यूथ प्रोग्राम, कामनवेल्थ सेक्रेटेरिएट में 17–18 दिसबंर 2014 को किया गया था। विभिन्न संगठनों के 25 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बैठक की पृष्ठभूमि

इस कार्यशाला के आयोजन की योजना उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों को ध्यान में रख कर किया गया था, ये क्षेत्र–हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत का स्वैच्छिक क्षेत्र अपने कार्य के दौरान कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। बहुत तरह के संगठन हैं जिन्हें स्वैच्छिक विकास संगठन के रूप में चिन्हित किया गया है। ये संगठन विषयगत बदलाव, भौगोलिक और रणनीक झुकाव की वजह से बंटे हुए हैं। वास्तविक विकास संगठन सेवा वितरण, अनुसंधान के क्षेत्र में और अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं। ये सभी संगठन सुदूरवर्ती क्षेत्रों, छोटे इलाकों और जिला मुख्यालयों में स्थित हैं। जैसे क्षेत्र में ये संगठन हैं, उसकी वजह से उनकी कनेक्टिविटि प्रासंगिक सूचनाओं और सरकार की सहायक योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों में नहीं हो पाती। उन्हें विनियमन के प्रावधानों, कानून और कानूनी प्रावधानों की पर्याप्त सूचना नहीं मिल पाती जो कि उनके बेहतर कार्यकलाप के लिए आवश्यक है। नए विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कार्यान्वयन के साथ आयकर अधिनियम की धारा 2 (15) में संशोधन के बाद इस क्षेत्र की इसके अंतर्गत उच्च स्तर पर विनियम होना है। इस क्षेत्र की ओर से और अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए मांग करने के लिए प्रेरित किया है। यह क्षेत्र सभी दानदाताओं के साथ बहु रिपोर्टिंग तंत्र का भी सामना कर रहे हैं, इसमें सरकारी सहायता प्राप्त योजनाएं और कार्यक्रम, कारपोरेट सोशल रेस्पांस्बिलिटि के तहत कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग भी शामिल है। इसलिए यह स्वैच्छिक संगठनों के आंतरिक प्रबंधन और शासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक है। विभिन्न हितधारकों से जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए एक मांग के

रूप में वहाँ यह सब अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण हो गया है और बाहरी हितधारकों के प्रति जवाबदेह होने के क्रम में के रूप में अच्छी तरह से आंतरिक हितधारकों के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र दानदाताओं के प्रति जवाबदेह हैं, जिनसे कि संसाधन तैयार होते हैं– समाज और समुदाय के प्रति और संगठनों के भीतर और कर्मचारी और स्टाफ की ओर से कानूनी जरुरतों को पूरा करने के लिए भी आवश्यक होती है। दूसरी बात कि उत्तराखंड और जम्मू–कश्मीर हाल ही में बाढ़ और आपदा से प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड के 12 जिलों में 16–17 जून 2013 में बादल फटने और भारी वर्षा से बाढ़ आई थी और पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित था। इसमें भी सबसे ज्यादा रूद्र प्रयाग, चमोली, उत्तराकाशी और पिथौरागढ़ जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इसी तरह जम्मू और कश्मीर भी 2–4 सितंबर , 2014 को हुए भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में आ गया। 5 सितंबर 2014 को यह क्षेत्र इस आपदा से काफी प्रभावित हुआ क्योंकि यह स्थिति जलवायु परिवर्तन, अनियोजित और अनियंत्रित विकास, नदी, झील और तालाबों के तटों का अतिक्रमण, नम भूमि का कम होने बाढ़ की भविष्यवाणी तंत्र की अनुपलब्धता और खराब प्रशासन की वजह से ऐसा हुआ।

प्रस्तावना

इस कार्यशाला में यमुनानगर– हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ से 25 सदस्य मौजूद हुए थे। कार्यशाला में सदस्यों की कम मौजूदगी 16 दिसंबर, 2014 को भारी वर्षा और बर्फबारी की वजह से रही,

प्रतिभागियों के असहाय होने की वजह से इनकी मौजूगी कम थी। अगर स्थिति अनुकूल होती तो 45–50 लोग इस दो दिवसीय बैठक में होते। इस क्षेत्र की पहचान में भ्रम को लेकर चर्चा आरंभ हुई, हर प्रकार के गैर सरकारी संगठनों और संगठनों के विकास के काम में लगे हुए हैं कि स्वैच्छिक क्षेत्र की पहचान, प्रकृति, गुंजाइश और बड़े पैमाने पर अस्पष्टता के लिए नेतृत्व किया है, जो एक श्रेणी के अंतर्गत सामान्यीकृत कर रहे हैं। इसी तरह सूचनाओं की कमी और एफसीआरए के तहत रिपोर्टिंग के मामले में कई संगठनों की जांच और उनके पंजीकरण रद कर दिये गये थे। यह महसूस किया गया था कि संगठनों में जवाबदेही और पारदर्शिता में कमी की वजह से उन्हें उत्पीड़न और कठिनाई का समाना करना पड़ता था। यह उल्लेख किया गया था कि हाल ही में पहाड़ी क्षेत्रों में आए आपदाओं ने आपदा तैयारियों और प्रबंधन कौशल पर सवाल उठाये हैं। स्वैच्छिक संगठनों को सक्षम और आपदा शमन और तैयारियों को संभालने के लिए कुशल होने की जरूरत है।

वे बिंदु जिन पर ध्यान दिया गया–

1. यह क्षेत्र भ्रमित पहचान और अस्पष्टता के साथ विकास कार्यों में लगा हुआ है।
2. देश में अब तक स्वैच्छिक संगठनों के मुद्दों को सुलझाने के लिए अब तक कोई एक भी विभाग या फिर जवाबदेह मंत्रालय तक नहीं है और इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का अभाव है।
3. यह देखा गया है कि इस क्षेत्र को पंजीकरण के पुराने पड़ चुके कानूनों की सहायता से नियंत्रित व नियमित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, 150 साल पुराना है। बहुत सारे स्वैच्छिक संगठन के पंजीकरण कानून के पास नियामक सामग्री नहीं है और केवल स्वैच्छिक संगठनों के एक रिकार्ड के रूप में सेवा करते हैं।
4. दृष्टिकोण आधारित अधिकारों पर काम कर रहे स्वयंसेवी संगठन जांच के दायरे में हैं। ये स्वैच्छिक संगठन राज्य व केंद्र सरकारों के उत्पीड़न तथा निगरानी का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में बहुत सारे स्वैच्छिक संगठन सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों में सहयोगी के रूप में काम करते हैं, वे उनका सहयोग और समर्थन करते हैं लेकिन अगर वे इस पर सवाल उठाते हैं और निगरानी करते हैं तथा नीतियों, कार्यकलाप और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर सरकार के साथ उनके रिश्ते टकरावपूर्ण हो जाते हैं।
5. इसी तरह एफसीआरए 2010 और आयकर की धाराओं में प्रतिबंधात्मकता है। कई संगठन 'बंद', 'रेल रोको' जैसे राजनीतिक प्रवृति के अभियानों का आयोजन करते हैं। इसी तरह आयकर की धारा 2 (15) के वर्तमान प्रावधान के अनुसार लाभार्थियों से नाममात्र की प्राप्ति और वसूलियां मुनाफे के रूप में कही जाती हैं। इसलिए कराधान अधिकारी शब्दावली को लेकर भ्रमित हैं– एक लाभ कमाने के व्यवसाय के रूप में बोली लगाना या फिर ठेके के रूप में।
6. संसाधनों/योगदान प्राप्त करने की प्रकृति बदल रही है: स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले अनुदान और वित्त प्राप्ति के तरीके बदल रहे हैं। फंडिंग मुख्यतः तीन प्रकार की होती है– विदेश से मिलने वाला धन, सरकारी सहायता राशि और कारपोरेट सोशल रेस्पांस्बिलिटी। ये सभी तीनों प्रकार के समर्थन खराब स्थिति में होती है। धार्मिक संस्थान, चर्च, मठ इत्यादी सबसे ज्यादा अनुदान प्राप्त करते हैं। इसी तरह उप ठेकेदार की भागीदारी से सरकार के समर्थन के बदलते रिश्ते लालफीताशाही के लिए प्रेरित करते हैं, बड़े संगठन और छोटे या फिर जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठन संसाधनों की कमी और अस्तित्व संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कारपोरेट्स भी अपने फंड को फाउंडेशनों के माध्यम से धन के दूसरी तरफ कारपोरेट सोशल रेस्पांस्बिलिटी के तहत मोड़ रहे हैं।
7. जवाबदेही और पारदर्शिता: संगठनों के भीतर अच्छे और आंतरिक प्रशासन और प्रबंधन प्रणालियों के स्पष्ट संकेत की कमी है। संगठनों को स्वयं प्रमाणीकरण तंत्र और आत्म–नियमन के माध्यम से मुद्दों का समाधान करना चाहिए। इससे बेहतर ढंग से इच्छाशक्ति और कुशल बोर्ड, सचिवालय और अन्य स्वैच्छिक विकास संगठनों के साथ संबंध होंगे।

अशांत राज्यों में बन रहा स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्रभावी सुधार ढांचा

रत्ना मंजरी

भारत एक विशाल देश है और इसके संविधान, कार्यक्रमों और नीतियों ने सामाजिक–आर्थिक विकास के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाई है। लोग के कल्याण, वृद्धि और विकास संवैधानिक दायित्व और केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक पहलों, योजनाओं, फ्लैगशिप कार्यक्रमों और नीतियां शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, आजीविका और बुनियादी ढांचे की खाई पाटने के लिए काम कर रही हैं। लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए काम किया जा रहा है। सरकार के प्रयासों के बावजूद, राज्य और क्षेत्र हाशिए पर अविकसित और अशांत हैं। अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण, पानी और वन संसाधनों के दोहन के लिए स्थानीय लोगों के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया जिससे गरीबों के स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण प्रशासन और पात्रता के लिए उपयोग सामाजिक कल्याण स्थिति प्रभावित हुए हैं। राज्यों के कई हिस्से उग्रवाद से ग्रस्त हैं। वे संघर्ष की एक से अधिक प्रकार की चपेट में हैः अलगाववादी उग्रवाद, भारत के भीतर अलगाववाद, स्थानीय स्वायत्तता के लिए संघर्ष, अंतर और अंतर–आदिवासी संघर्ष, स्थानीय बनाम आप्रावासियों के बीच के संघर्ष, भाषाई विवाद, सीमा संघर्ष जैसे कई संघर्ष हैं। उपरोक्त चुनौतियों के संबंध में, यह देखा गया है कि स्वैच्छिक संगठनों को पहले की अपेक्षा ज्यादा महत्व मिला है क्योंकि प्रशासन लोगों तक खास कर गरीब और कमजोर तबकों तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। कहा जाता है कि इन अशांत राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों के हस्तक्षेप ने खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैः लोगों के कल्याण के लिए उनके अधिकारों को वन अधिकार अधिनियम, शिक्षा के अधिकार, सूचना के अधिकार और खाद्य का अधिकार के तहत काम किया है।

वाणी अपनी स्थापना के बाद से भारत में स्वैच्छिक विकास संगठनों के लिए अनुकूल वातावरण को सक्षम करने के मुद्दे पर काम कर रहा है। बीते कुछ सालों में, वाणी ने देखा है कि छोटे और मझोले स्तर के स्वयंसेवी संगठन संघर्षरत क्षेत्रों में काम करते हुए नए तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो एक तरह से भारत के संविधान द्वारा प्रदान की लोकतांत्रिक स्पेस और अधिकार को प्रतिबंधित करता है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कानून की बहुलता, जो इस क्षेत्र को विनियमित करते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या और कार्यान्वयन एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। इसी तरह, पंजीकरण का कानून भी राज्य का मामला है। एक राज्य से दूसरे राज्य में विकास के प्रयास में प्रतिभागिता का स्थान अलग–अलग होता है। इसका नतीजा यह हुआ कि मानवाधिकार के उलंघन हुए,

स्वयंसेवी संगठनों की गतिविधियों को रोकने और सरकारी मशीनरी के साथ मुद्दों को उठाया जाता है। अशांत राज्यों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सामना किये जा रहे मुद्दे बिल्कुल अलग हैं जो कि देश के दूसरे हिस्से अलग ढंग से सामना कर रहे हैं। वैसे संगठन जो समुदायों के लिए नागरिकों के चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं और सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं उन पर सरकार का हस्तक्षेप, खुफिया ब्यूरो और स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा निगरानी बैठा दी जाती है। संगठन के संचालन में पुलिस और स्थानीय अधिकारियों का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है। स्वयंसेवी संगठनों के लिए नियमित आधार पर अंतरंग/सूचना स्थानीय थाने को देना आवश्यक है। वे अक्सर संगठन के संचालन पर स्पष्टीकरण की मांग नोटिस/पत्र द्वारा

सरकार के प्रयासों के बावजूद, राज्य और क्षेत्र हाशिए पर अविकसित और अशांत हैं। अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण, पानी और वन संसाधनों के दोहन के लिए स्थानीय लोगों के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया जिससे गरीबों के स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण प्रशासन और पात्रता के लिए उपयोग सामाजिक कल्याण स्थिति प्रभावित हुए हैं।

अशांत राज्यों में आदिवासियों, समुदाय और समाज के बड़े पैमाने पर विकास का प्रभाव

भारत के कई राज्यों में माओवादी, वर्ग, समुदाय और संघर्ष उभर कर सामने आए हैं। राज्य के दमन के बावजूद लोकतांत्रिक ताकतें संघर्ष कर रहे हैं, उड़ीसा में वेदांता और पोस्को में आम विरोध हुआ था। हालांकि ये खास और स्थानीय स्तर के संघर्ष माओवादियों और राज्य सरकार के बीच के संघर्ष से भी भारी पड़ा, जो इन क्षेत्रों में आदिवासी लोगों की दुर्दशा के लिए संरचित है। इसने आदिवासी क्षेत्रों के असमान विकास के लिए नेतृत्व किया– आरोप है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार के निपटान की कमी से अलगाव की भावना बलवती हुई है। राज्य के कार्यान्वयन और विशेष रूप से पुलिस और प्रशासन द्वारा उपरोक्त कारकों ने आदिवासी लोगों, समुदायिक निवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार का नेतृत्व किया।

झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के परिप्रेक्ष्य में यह एकदम अलग और इसके विपरित था। गैर आदिवासी किसानों, महाजनों और व्यापारियों के हाथों आदिवासी लोगों के जमीन खोने का इतिहास रहा है। और इसी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में माओवादियों के लिए स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

असमान विकास की इन समस्याओं से आशंका बनी कि जब तक बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन आदिवासियों के विकास के लिए एक नया समतावादी दृष्टि विकसित नहीं हो जाता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के ये राज्य शामिल हैं– असम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। दशकों से, इस क्षेत्र के बहुत से हिस्सों में उग्रवाद का माहौल था और राज्यों में एक अधिक संघर्ष के रूप सामने आये और राज्य उसकी चपेट में आए। इसका नतीजा हुआ कि विकास की गति धीमी हुई और आगे इस क्षेत्र में राजनीतिक विखंडन के कारण इसे और प्रेरित किया। पूर्वोत्तर के क्षेत्र काफी दुर्लभ क्षेत्रों वाला, घने जंगलों से ढंका और म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ खुली सीमा, जो इन विद्रोहियों को अनुकुल माहौल प्रदान किया। इन संघर्षों ने लगातार सुरक्षा बलों को उग्रवाद के खिलाफ मुकाबला करने के लिए आवाज दी की वे 'आतंकवादियों' या उनके 'हमदर्दों' पर अंकुश लगाएं। फलस्वरूप मानवाधिकार के उलंघन के कई मामले सामने आए– सुरक्षा बलों द्वारा एकमुश्त हत्या से लेकर अत्याचार तक, तथा पूरे के पूरे गांव को जलाने का मामला सामने आया।

पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के देने के लिए केंद्रीय सरकार विशेष पैकेज और केंद्रीय फंडों की भारी राशि को मंजूरी देने में नान–लैप्सेबल सेंट्रल पुल आफ रिसोर्सेज (एनएलसीपीआर) के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन बहुत सारे संसाधन बजट को खर्च नहीं किये जाने की वजह से खत्म हो गये।

प्राप्त करते हैं। स्वंयसेवी संगठन अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर काम कर रहे जो पूछताछ और जांच के अधीन हैं और वे उनके द्वारा किए गए कार्यकलापों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश देते हैं। स्थानीय प्राधिकरण स्वयंसेवी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों पर दबाव बनाते हैं और कार्यक्रमों और गतिविधियों पर अविश्वास जस की तस है।

अशांत राज्यों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा समाना किये जा रहे मुद्दे बिल्कुल अलग है जो कि देश के दूसरे हिस्से अलग ढंग से सामना कर रहे हैं। वैसे संगठन जो समुदायों के लिए नागरिकों के चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं और सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं उन पर सरकार का हस्तक्षेप, खुफिया ब्यूरों और स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा निगरानी बैठा दी जाती है।

हमारा मानना है कि स्वैच्छिक संस्थाओं को अपने संबंध में मीडिया, सरकार और सरकारी निकायों के साथ मजबूत करने की जरूरत है। इसी प्रकार एक राज्य और जिला स्तर पर तंत्र तैयार करने की जरूरत है। स्वैच्छिक संस्थाओं को गंभीर रूप से सरकारी नीतियों मूल्यांकन करना और जनता को मार्गदर्शन देने की जरूरत है और इसके साथ ही संसाधनों को जुटाने और अपने कामकाज में जवाबदेही, पारदर्शिता और आंतरिक प्रशासन लाने की आवश्यकता है।

संदर्भ :

1. http://www.ijbmi.org/papers/Vol%282%294/version-1/D241935.pdf
2. www.pib.nic.in

— सुश्री रत्ना मंजरी, प्रोग्राम मैनेजर, वाणी

बदलता भारतीय लोकतंत्र

डॉ. मज़हर हुसैन

बदलता भारतीय लोकतंत्र–1

नागरिक विषय से

यहां तक कि खुद को लोकतंत्र घोषित करने के 67 साल बाद भी, हम भारत के लोग, 'विषयों' और 'दासों' के दृष्टिकोण के साथ लगातार काम कर रहे हैं और नागरिकों के लिए आवश्यक मानसिकता का विकास नहीं हुआ। गरीब से लेकर अमीर तक, निरक्षर से लेकर शिक्षित तक, निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण अभी भी प्रार्थना के रूप में ही है (बहुत सारे मामलों में तो हम अब भी राजा और महाराजाओं के युग की तरह हाथ बांधे खड़े हैं)। सबसे बुनियादी सेवाओं के प्रावधान जैसे पानी और साफ–सफाई से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए सरकारी ठेके या लाइसेंस के रूप में मेगा व्यापार के अवसरों का आवंटन करने तक ये सब अभी तक केवल परोपकार के रूप में प्राप्त लगते हैं और हमारे समुदाय, जाति, भाषा, नस्ल आदि के आधार पर सत्ता में उन लोगों से प्राप्त होने के बजाय नागरिकों को हकों के रूप में उपलब्ध होने चाहिए। इस व्यवस्था को हमने लोकतंत्र के नाम पर अपना लिया है, जो कि राजाओं और सम्राटों के साथ ही समाप्त हो गया था, इसने प्रभावी ढंग से उन्हें जो कि निर्वाचित प्रतिनिधि और लोग लागातर उनकी साख पर निर्भर थे बदल दिया है जो उन के विशाल विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने में विफल रहा है और परोपकार के नाम पर ये नेता राजशाही के दौर के शासक बन बैठे।

सहभागितापूर्ण लोकतंत्र बनाम प्रतिनिधित्व पूर्ण लोकतंत्र

एक आदर्श लोकतंत्र वह होता है, जहां निर्णय निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों की सीधी भागीदारी होती है जिसका प्रभाव यह होता है जनहितों की रक्षा और नागरिक के रूप में उनके हितों की रक्षा और अधिकारों को बढ़ावा मिलता है। लेकिन सीधी सहभागीता केवल तभी संभव है जब समूह की ताकत कुछ हो, जबकि हमारे देश की आबादी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों के आकड़े को पार कर गई है, ऐसे लोकतंत्र में सीधी भागीदारी संभव नहीं, इसलिए ऐसे लोकतंत्र ने एक परावधान के रूप में प्रतिनिधि चयन का विकल्प रखा है, जहां विभिन्न समूह किसी को अपने प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करते हैं जो अलग–अलग निर्णय लेतेहैं। नतीजाः प्रतिनिधित्व और भागीदारी के संयोजन में बदलाव अलग–अलग 'डिग्री' के रूप में दिखता है।

अब भी किसी भी लोकतंत्र की गुणवत्ता नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी पर निर्भर करेगा। अगर ज्यादा महत्वपूर्ण या अधिक से अधिक निर्णय लेने में प्रतिनिधियों को लगाया जाता है तो अपनी शक्तियों को शासन की प्रक्रियाओं के लिए लोगों के योगदान में आनुपातिक कमी करने के लिए अग्रणी और अधिक विवेकाधीन बन जाता है तब तक वह एक बिंदु पर पहुंच जाता है जहां लोग निर्वाचित प्रतिनिधियों की विवेकाधीन शक्तियों पर पूरी तरह से निर्भर बन सकते है।

भारतीय लोकतांत्रिक प्रचलन : निहित दोष और इसके सुधार

लोकतंत्र के प्रारूप में भारत को पूरी तरह पालन करते हैं और इस पर निर्भर हैं और जहां हम केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित हैं, लोगों के लिए उपलब्ध शासन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एकमात्र विकल्प पांच साल में एक बार अपने वोट देकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना है। वोट देने के बाद स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रकार के शासन प्रक्रिया में भाग लेने के अपने अधिकार खो देता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को एकतरफा किसी भी ओर हर प्रकार के निर्णय लेने के लिए उपयुक्त विशेषाधिकार मिल जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आज की तारीख में हमारे लोग लोकतांत्रिक शासक सम्राटों और जागीरदारों से अलग नहीं है, विशाल विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से लोगों की दासता सुनिश्चित करने के संदर्भ में वे उनके वारिस हैं।

लेकिन यह भारत के संविधान के मूल भावना का उल्लंघन है

जिसमें शासन की विकेंद्रीकरण की आशंक्षा को स्पष्ट किया गया है और स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 423 में निर्धारित किया गया है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं से लेकर 'स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें सक्षम किया जाए और..आर्थिक विकास के लिए योजनाओं की जिम्मेदारियों की तैयारी और शक्तियों का हस्तांतरण के लिए... सामाजिक न्याय और योजनाओं के क्रियान्वयन में...'लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चत हो। परिकल्पित ही है लेकिन 42 साल के बाद भी, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए शक्तियों का कोई वास्तविक हस्तांतरण नहीं किया गया, 1992 में गांवों, छोटे शहरों और शहर स्तर पर स्थानीय सरकार जैसे उद्देश्यों को लेकर भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया। इस संशोधन के साथ, पांच साल में एक बार मतदान सच्चे लोकतंत्र का यह मतलब नहीं है, लेकिन उनके क्षेत्रों के सभी विकास और कल्याण कार्यक्रमों की योजना बनाने में सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। अगर भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संशोधन बाद लागू हो जाता है तो यह ग्राम/क्षेत्रीय सभा में आम लोगों को नागरिक के रूप में सभी नागरिक सुविधाओं, शिक्षा, और स्वास्थ सुविधा कल्याणकारी योजनाओं के लिए सक्षम उम्मीदवार के चयन और अपने क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं को तैयार के लिए सुनिश्चत करेगा तथा वे निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारी के परोपकार और विवेक पर निर्भर नहीं होंगे, जैसा की आज है। इसका मतलब यह होगा कि कम से कम लोगों (खास कर गरीब और हाशिए के लोगों की) की 70 प्रतिशत जरुरतों के बारे में वे स्वयं निर्णय क सकेंगे। ऐसे परिदृश्य में, निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों की भूमिका नागरिकों के रूप में लोगों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन होगा! सीधे–सीधे नागरिकों के रूप में शासन की प्रक्रिया में देश के एक अरब से अधिक लोगों को समायोजित करने के लिए एक क्षमता के साथ सहभागितापूर्ण लोकतंत्र के लिए इससे बेहतर कोई मॉडल नहीं हो सकता है !! एकमात्र शर्त यह है कि हम यह सुनिश्चत करे कि हमारे सभी ग्राम और क्षेत्रीय सभाएं ठीक से गठित और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हों।

लेकिन दुर्भाग्य से सभी दलों के राजनीतिक नेता संविधान को इससे रोक रहे हैं और विवेकाधीन शक्तियों की रक्षा के लिए ग्राम और क्षेत्र सभाओं के कामकाज को वे सभी स्तरों पर शासन प्रक्रियाओं को गैर संवैधानिक रूप से प्राप्त करने के लिए आगे आए हैं। फलस्वरूप, लोगों के नागरिक अधिकारों को कम करके आंका जा रहा है–समुदायों में आत्मनिर्भर शासन प्रक्रिया की तोड़फोड़ किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा शक्तियों का केंद्रीकरण किया जा रहा है– जो भारत के संविधान और भावना के विपरीत हैं।

आजादी मिलने के कुछ ही दिन पूर्व किसी ने गाँधी जी से भारत के बारे में उनके विचार पूछे, उन्होंने जवाब दिया कि भारत में 5 लाख आत्मनिर्भर गांव होंगे। आजादी के 66 वर्ष के दौरान, नई दिल्ली ने भारत की हमारी अवधारणा को उभारा है! लेकिन आज तक हम अपने लाखों बस्तियों, गांवों, कस्बों और शहरों के लिए नई दिल्ली से बाहर घूम रहे हैं, एक अरब भारतीय लगातार निंदा करेंगे कि वे नागरिक नहीं बन सके।

बदलता भारतीय लोकतंत्र–।।

चुनाव से परे राजनीति

यह हमेशा से रोना रहा है कि राजनीतिज्ञ पांच साल में एक बार चुनाव के समय लोगों के पास आते हैं और उसके बाद फिर नहीं दिखते। इसके अलावा, वोट लोगों की सेवा के ट्रैक रिकार्ड के बजाय समुदाय, जाति और क्षेत्रीय जुड़ाव के नाम पर मांगा जा रहा है। विभिन्न समुदायों के बीच वोट काटने और सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों के टकराव की स्थिति बनी जिससे सांप्रदायिक राजनीति मजबूत हो रहा है (और कभी कभी यह संघर्ष का इंजीनियर भी हो जाता है)। विभाजनकारी राजनीति और विकास के मुद्दे पर चुनावी जीत के लिए निर्भरता में वृद्धि के साथ, अंततः पराजित लोग अपने समुदाय की परवाह किये बगैर उन्हें पीछे ले जा रहे हैं।

लोकतांत्रिक ढांचे में सामंती मानसिकता

विभिन्न दलों के बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं लेकिन इसमें केवल एक ही जीत सकता है, उनमें से कुछ हारते हैं वे बस केवल कुछ सौ मतों के अंतर से हारते हैं। वर्ष 2009 में आंध्र प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में एक उम्मीदवार की हार केवल एक वोट से हुई थी। लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही नतीजों की घोषणा हुई तो वह जीता हुआ प्रत्याशी था।

अब सोचने का समय आ गया है (सरपंच से राष्ट्रीय स्तर तक) कि क्या निर्वाचित प्रतिनिधि को पूरे क्षेत्र की शक्तियां मिल गई है या वे केवल अपने अधिकार क्षेत्र के कार्य के विषयों को देख सकते हैं। यहां तक कि लोग केवल जीते हुए उम्मीदवारों (हारे हुए के पास नहीं) के पास ही अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। अधिकारी भी यह महसूस करते हैं कि वे केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हैं और वह किसी हारे हुए के प्रति नहीं है, जो कि गायब हो जाने वाला है और अगले चुनाव तक वह उनकी 'राडार' में कही नहीं होता। इसलिए जीता हुआ उम्मीदवार, लोग अधिकारी और यहां तक कि हारा हुआ उम्मीदवार भी इस मानसिकता को बनाने के लिए जिम्मेवार है कि जीता हुआ व्यक्ति अपने क्षेत्र का बेताज बादशाह है।

लेकिन कई ऐसे कारण है जो निर्वाचित उम्मीदवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है और अधिकांश मामलों में वे लोगों

द्वारा उनके समय लाई गई समस्यों का समाधान नहीं कर पाते। नतीजतन लोगों का पूरे राजनीति वर्ग से मोहभंग हो जाता है, शासन की प्रक्रिया से खुद को मुक्त रखना और राजनीतिक अनुष्ठान में चुनाव के दौरान अनिच्छुक प्रतिभागियों की तरह वोटर बन जाते हैं।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की स्थापना

हम यह महसूस करने में विफल रहे हैं कि जो चुनाव हार जाते हैं वे भी नेता है, उनके पीछे भी राजनीतिक पार्टी, कार्यकर्ता है, उनकी समाज के साथ अच्छी समझ, सरकारी विभागों और अधिकारियों तक पहुँच हो सकती है। पद रहित या कार्यालय से बाहर होने के कारण उनके पास और ज्यादा वक्त होता है और चुनाव हार चुके उनमें से कुछ अपने प्रभाव और नेतृत्व के कद को साबित करने के लिए पूरी इच्छा के साथ कुछ कर सकते है। अनुभव दर्शाते हैं कि क्षेत्र की किसी समस्या को निर्वाचित प्रतिनिधि के सामने रखा जाए और हारे हुए उम्मीदवार के सामने भी रखा जाए, तो हारा हुआ उम्मीदवार तेजी के साथ उन मुद्दों को संबंधित प्राधिकरण के सामने रखता है। एक बार निर्वाचित प्रतिनिधि हारे हुए उम्मीदवार से इस बारे में सीख ले ले तो वे तुरंत अपने संकल्प के लिए और क्रेडिट के लिए कार्रवाई करने के लिए उतर जाएंगे। अगर लोगों की समस्यों को निर्वाचित और हारे हुए दोनों उम्मीदवारों के सामने रखी जाए तो उसके समाधान की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग, जिसमें हारा हुआ उम्मीदवार भी शामिल है, जीते हुए उम्मीदवार से मतभेद के डर से लोगों की समस्यों और मुद्दों को उठाने से परहेज करता है। हालांकि इस तरह की मानसिकता को चुनौती दी जा सकती है और उसे बदला भी जा सकता है। लोगों के मुद्दों को लेकर भविष्य में भुनाने के लिए राजनीतिक सद्भावना विकसित करने की क्षमता दिखा कर, बहुत सारे हारे हुए उम्मीदवार निर्वाचित प्रतिनिधियों के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। राजनेताओं के बीच परिणाम देने वाली यह प्रतिस्पर्धा चुनावों से परे राजनीति को ले जा सकती हैं और लोगों की सेवा के क्षेत्र में और स्वागत हो सकता है और यह मतभेद और हिंसा को भी प्रेरित कर सकता है। लोगों की सेवा करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता में लगातार वृद्धि के साथ, दुश्मनी भी कम होगी और यह यहां तक कि मानसिकता को बदलने में भी भूमिका निभाएगी ताकि क्षेत्र के लोगों की सेवा का अधिकार केवल निर्वाचित प्रतिनिधि का ही नहीं है।

दरअसल, अब समय आ गया है कि सार्वजनिक प्रशासन निकायों की गवर्निंग संरचना के नियमों में उचित परिवर्तन किया जाए जिससे कि यह सुनिश्चत हो सके कि चुनाव में कम कम से पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार भी स्वतः ही संबंधित प्रशासनिक संरचना के सदस्य हो– पंचायत से लेकर स्थानीय निकायों को वार्ड कमेटी और जिला रिव्यू कमेटी तथा विधानसभा से लेकर संसद के स्तर तक। इन निकायों में इनके लिए स्थान होने से उन बड़े समूह के लोगों की आवाज सुनिश्चित होगी जिन्होंने इन्हें वोट दिया है और इससे हमारी राजनीति में प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र बढ़ेगा और चुनाव बाद व्यवस्था की कमियों को इससे काफी हद तक निपटाया जा सकेगा।

मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से सहभागितापूर्ण लोकतंत्र सुरक्षित

वर्तमान लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में राजनेताओं क विशाल विवेकाधिन शक्तियां मिली हुई है कि वे लोगों की वास्तविक मुद्दों को बनाये और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में दावा तथा प्रस्तुत किया जाता है। यहां तक कि राजनीतिज्ञों द्वारा विकास के मुद्दों तथा चुनावी मुद्दों में हेरफेर किया जाता है और लोगों के लिए कुछ नहीं जो बढ़ती हुई समस्याओं के मिल जी रहे हैं। इसलिए, बजाय उचित नागरिक सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार आदि के मुद्दों को संबोधित करने के लिए करने के मंदिर–मस्जिद बनाने, तथा राज्य के खजाने से दो रुपये प्रति किलोग्राम चावल देने तथा उपहार में रंगीन टेलीविजन सेट देने के वादे के साथ राजनीतिक दल को चुनाव जीतने में सक्षम हैं।

भारत के संविधान में ग्रामीण क्षेत्रीय सभा में लोगों के सीधी सहभागिता के प्रावधान बनाया गया है लेकिन यह भी कि महत्वपूर्ण शासन प्रक्रियाओं और अपने स्वयं के विकास के लिए एजेंडा निर्धारित करने के लिए उन्हें सशक्त किया जाए। अब आवश्यक है कि सभी समाज के लोगों, राजनेताओं और अधिकारियों के विभिन्न वर्गों के बीच इन प्रावधानों की उपलब्धता के बारे में शिक्षित किया जाए, इनकी मानसिकता में बदलाव लाई जाए और उनके द्वारा अपनाया जाए और अंततः यह सुनिश्चित हो कि इसका सही तरह से सभी स्तरों पर लागू हो और हर समय गवर्नेंस में उसकी बराबर की सहभागिता हो, उनके सशक्तिकरण को सुरक्षित किया जाए और विभाजनकारी राजनीति के खतरों से उन्हें बचाया जाए।

यह केवल तभी हो सकता है जब इसे सभी प्राप्त कर लें। हमारी राजनीति को लोगों की निरंतर सेवा करने के लिए, चुनाव के पार जाने के लिए बदलना होगा और केवल कपटता से सत्ता हासिल करने के लिए न बांटा जाए।

— (डॉ. मजहर हुसैन सीवीए में कार्यकारी निदेशक हैं, जो एक राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में भारत और दक्षिण एशिया में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए काम करता है, उनसे mazherhussain11@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है)

कल का बदलता भारतः अभिसरित हो रही राजनीति व लोकनीति

डॉ. राजेश टंडन

कैबिनेट के प्रस्ताव से 60 साल पुराने योजना आयोग की जगह नीति (नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया) आयोग का गठन किया गया, यह दिलचस्पी जगाती है कि अच्छी तरह से इस नई संस्था के मार्गदर्शक की भावना क्या हो सकती है। नीति आयोग की नई टीम इस मंत्रिमंडल के संकल्प में निहित आकांक्षाओं को आगे ले जानी है, इसके कार्यों के सात आधार उभरे हैः–

- प्रभावी शासन में 'नागरिकों की सहभागिता', विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के सहित सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत पर जोर देता है।
- देश में वास्तविकताओं और विकास के चरणों की विविधता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय विकास की एक 'साझा दृष्टि' के विकास की सुविधा प्रदान करना
- 'प्रत्येक गांव में विकास योजनाओं' के निर्माण के लिए एक पद्धति को बढ़ावा देना (वार्ड से लेकर कस्बों तक) और फिर जिला स्तर पर एकत्रीकरण
- देश और विदेश में भारत के नागरिकों की भारी 'सामाजिक पूँजी' को सवारना और सही मायनों में साझे के दृष्टिकोण का समर्थन करना
- बड़े पैमाने पर सार्वजनिक व्यवस्था और समाज में मानव और संस्थागत 'क्षमता निर्माण' के लिए रणनीति का सुझाव
- सुशासन और समान विकास के लिए 'विशेषज्ञों और संबंधित क्षेत्र में काम करने वालो के लिए' माध्यम से साझा नवाचारों और ज्ञान प्राप्ति हेतु प्लेटफार्म बनाना
- राष्ट्रीय विकास के एजेंडे को में 'मुख्य हितधारकों' को सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए तथा भागीदारी के लिए को प्रोत्साहित करना

यह महत्वपूर्ण कि, बगैर किसी नीति के विशेष के डोमेन को निर्दिष्ट किए इस नई इकाई का जनादेश विशाल और व्यापक है। आयोग स्वयं ही सभी की आवश्यक डोमेन विशेषज्ञता को शामिल किए बिना ऊपर के सिद्धांतों को लागू करने के लिए पहल शुरू कर सकता हैं। दरअसल, एक मजबूत नेटवर्क की क्षमता से साथ आयोग को छोटा और सुविधाजनक संरचना बनाने की पहल है, जो देश में पहले से मौजूद सार्वजनिक ज्ञान को आकर्षित कर सके। बहुत सारी विशेषज्ञता निजी क्षेत्रों में तथा सरकारी संस्थानों से बाहर है। निजी क्षेत्रों के लाभकारी और गैर लाभकारी दोनों को ही– चाहे व्यक्ति विशेष हो या फिर संस्थानरू उन्हें टास्क फोर्स, कार्य समूह और दूसरे अस्थाई तंत्र के रूप में नीति निर्धारण में शामिल किया जाए।

आयोग के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात समझनी जरुरी है कि इसके लिए जनादेश केवल अकेले राष्ट्रीय सरकार तक ही सीमित नहीं है। आज की तारीख में, विभिन्न राज्य सरकारों के लिए इस तरह के समर्थन की प्रासंगिकता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारों के पास मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के ज्ञान की कमी है, और इस तरह की विशेषज्ञता का दोहन करने के लिए अपनी क्षमता को देश भर में बहुत अलग होता है। आयोग शायद इस तरह एक गैर पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य कर सकता हैं (यह संसाधनों के आवंटन की भूमिका निभाने के लिए नहीं है) इसलिए, सभा राज्य सरकारे इसका समर्थन कर लाभ ले सकती हैं।

अंततः आयोग कई सारे संवैधानिक तंत्रों की पहचान करता है जो कि अपनी जिम्मेदारियों के कुछ पहलुओं के काफी करीब है। विशेष तौर से ऐसे दो तंत्र प्रासंगिक हैं। पहला स्टेट फाइनांस कमिशन (एसएफसी)। अधिकांश एसएफसी अपनी पूरी क्षमता को समझने में सक्षम नहीं है, इसमें राष्ट्रीय वित्त आयोग के साथ एकीकरण भी शामिल है वह भी विभिन्न किस्म की राजनीति और तकनीकी बांधाओं की वजह से। आयोग राज्यों में से प्रत्येक में राज्य वित्त निगम की पूरी क्षमता की सुविधा का अहसास करा सकते हैं।

दूसरा तंत्र है जिला योजना समिति (डीपीसी) : बहुत सारे राज्यों में डीपीसी का ठीक से गठन नहीं हुआ है या सशक्त नहीं है या देश के प्रत्येक जिले में सबसे महत्वपूर्ण एकीकृत योजना समारोह में संसाधनों के प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। आयोग अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए डीपीसी जो सक्षम प्रक्रियाओं का समर्थन कर सकता हैं, जिससे देश के 600 से अधिक जिलों में से प्रत्येक में योजना आयोग का पुनर्जन्म हो सकता है।

नीति आयोग के जनादेश की मूल भावना है कि, वैसे तरीके तलाशे जाए जिसमें राजनीति (राज्य के लिए नीति) को ऐसे सामांजस्य और एकीकृत किया जाए कि वह लोकनीति (लोगों के लिए नीति) बन सके। प्रभावी शासन की राजनीति में राजनीति और लोकनीति इंटरफेस में बाहर भूमिका निभाने के लिए आवश्यक है।यह प्रभावी रूप से अलग अलग दृष्टिकोण, अनुभव और विशेषज्ञता की खुली बातचीत के माध्यम से इस इंटरफेस की मध्यस्थता कर रहा है कि आयोग कल के भारत के लोगों के लिए सबसे अधिक उत्पादक और उपयोगी हो सकता है।

— डॉ. राजेश टंडन, अध्यक्ष, प्रिया, नई दिल्ली

नागरिक समाज के नजरिए से जी–20 का विश्लेषण

दिविता शांडिल्य

प्रस्तावना : जी–20 की पृष्ठभूमि

जी–20 या 20 का समूह, का गठन विकसित देशों आस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस इटली, जापान और दक्षिण कोरिया और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस, अर्जेंटाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिकों, सउदी अरब और तुर्की के साथ यूरोपीय संघ को लेकर किया गया था। जी–20 अंतर्गत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं सामूहिक खाते में वैश्विक उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत योगदान है, इसी तरह विश्व के कुल व्यापार का 80 प्रतिशत और दुनिया की आबादी का दो–तीहाई जी–20 के पास है।

1999 में पूर्वी एशिया में वित्तीय संकट के काल में जी–20 का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम के रूप में स्थापना की गई थी। यद्यपि, यह वित्तीय संकट के असर से निपटने और उसके झटकों से निपटने के लिए वित्त मंत्रियों और संबंधित सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में बना था। वर्ष 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बादयह राज्यों के प्रमुखों की एक शिखर सम्मेलन के रूप में विकसित हुआ। हालांकि साल में समय समय पर सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर मिलते रहते हैं, लेकिन इन देशों के राष्ट्र प्रमुख जी–20 सम्मेलन में ही मिलते हैं, जिसका वर्ष 2011 से हर साल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थायित्व के लिए मुद्दों और नीतियों पर चर्चा के लिए आयोजन किया जाता है (पहले यह सम्मेलन एक साल के अंतराल पर किया जाता था)।

हाल के वर्षों में जी 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक

प्राथमिक परिषद के रूप में उभरा है और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए उसके कामकाज के दायरे का विस्तार किया गया और वित्तीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली के महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करने के लिए जैसे कि वित्तीय समावेशन में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना पुनर्संतुलन काले धन को वैध और आतंकवाद के वित्त पोषण से लड़ने और राजकोषीय नीतियों की पारदर्शिता में लाने के रूप में सामने आया है। इसका उद्देश्य यह भी है कि खाद्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचे में निवेश, रोजगार और जलवायु परिवर्तन पर प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से विकास और सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए।

वर्तमान ट्रोइका आस्ट्रेलिया में शामिल है (जिसने 2014 में सम्मेलन की मेजबानी की थी) तुर्की (वर्तमान मेजबान है) और चीन (2016 में जी–20 की अध्यक्षता करेगा)।

जैसा कि अनुमान था कि अध्यक्षता के दौरान तुर्की ने 'तीन आई' के सिद्धांत को तैयार किया : इंक्सूसिवनेस, इंप्लीमेंटेशन और इंवेस्टमेंट से विकास के लिए सामूहिक प्रयास के माध्यम से समावेशी और मजबूत विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

तुर्की की अध्यक्षता में जी–20 अपने अध्यक्षता के आधार पर जिस पर तीन स्तंभों को सूचीबद्ध किया वह जो अपनी प्राथमिकता दस्तावेज के साथ बाहर आय, जिसका नाम इस तरह है (1) वैश्विक प्राप्ती को मजबूत बनाने और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था की संभावना को प्रोत्साहित करना (2) वैश्विक अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को बढ़ाना तथा (3) विकास, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के लिए वित्त के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना।

जी–20 की कार्यप्रणाली

जी 20 के पास अपना स्थायी सचिवालय नहीं है और इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों में हस्तांतरित होती रहती है। वर्तमान अध्यक्ष देश, पूर्व अध्यक्ष और भविष्य में इसकी अध्यक्षता करने वाला ट्रोइका अगले साल के सम्मेलन का एजेंडा तय करने के लिए जिम्मेवार है।

इसके बाद, दो व्यापक चौनलों, वित्त चौनल और शेरपा के चौनल के माध्यम से इन मुद्दों पर चर्चा आयोजित की जाती हैं। इस वित्त चौनल में वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और उनके प्रतिनिधि शामिल है, जो वित्त मामलों से संबंधित कार्य समूहों पर चर्चा का नेतृत्व करते हैं। शेरपा के चौनल का नेतृत्व प्रत्येक देश के शेरपा करते हैं, जो मूल रूप से विकास के एजेंडे के तहत आते हैं जो चर्चाओं का नेतृत्व करने के लिए सरकार के द्वारा मनोनित किये गये हैं।

शेरपाओं ने भी अंतिम परिणाम के दस्तावेजों पर प्रतिनिधि से बातचीत की और विभिन्न कार्य समूहों के कार्य में सहयोग किया। ये कार्य समूह नीचे इस प्रकार सूचीबद्ध है (जैसा कि 2014 के जी–20 में बना था)

- फ्रेमवर्क कार्य समूह
- निवेश और बुनियादी ढांचा कार्य समूह
- विकास कार्य समूह
- भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह

शुरू से ही इसकी नीतियां और निर्णय व्यापक तौर पर इसे अन्य विकसित और विकासशील देशों में लागू होता है जो कि इस मंच के सदस्य नहीं है, तब इसकी वैधता और प्रतिनिधि संरचना से संबंधित चिंताएं सभी के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

- रोजगार पर टास्क फोर्स
- जी–20 व्यापार की संपर्क बैठक
- ऊर्जा स्थिरता कार्य समूह

जैसा कि प्रचलन है कि इन कार्यसमूहों की विकसित और विकासशील सदस्य देश अध्यक्षता करते हैं। ये कार्य समूह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, व्यावसायिक समूहों, अकादमिक और गैर जी–20 देशों से इनपुट और फीडबैक आमंत्रित भी करते हैं। जी 20 ने संवाद स्थापित करने के लिए प्रमुख व्यापार संघों, ट्रेड यूनियनों, टैंक, नागरिक समाज और छात्रों और युवा पेशेवरों का समूह बिजनेस 20 (बी–20), लेबर 20 (एल–20), यूथ 20 (वाई 20), थिंक 20 (टी–20) और सिविल 20 (सी–20) के रूप में जगह दी है।

जी–20 की आलोचना

जब यह स्थापित नहीं हुआ था, तब से ही कई आलोचकों ने एक परामर्शदात्री चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से और दुनिया की सबसे बड़ी बीस अर्थव्यवस्थाओं की एकतरफा घोषणा के माध्यम से जी–20 की वैधता और जवाबदेही के बारे में चिंताओं को उठाया है। शुरू से ही इसकी नीतियां और निर्णय व्यापक तौर पर इसे अन्य विकसित और विकासशील देशों में लागू होता है जो कि इस मंच के सदस्य नहीं है, तब इसकी वैधता और प्रतिनिधि संरचना से संबंधित चिंताएं सभी के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसके कामकाज की प्रक्रिया को और स्थायी सचिवालय के नहीं होने या इसके औपचारिक चार्टर को लेकर लगातार सवाल उठाये गये लेकिन इसके ज्यादातर काम बंद कमरों की बैठकों में होता है। भय है कि जी–20 को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां कमजोर कर सकती है और इस प्रक्रिया पर कइयों से आवाज बुलंद की है।

नागरिक 20 की प्रक्रिया

नागरिक समाज संगठन, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में या सामूहिक रूप से जी–20 की स्थापना के समय से हीनागरिक समाज के नजरिए से जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है लेकिन स्थापना के बाद से ही जी–20 शिखर सम्मेलन के बाद शोहरत और काफी राजनीतिक और आर्थिक ताकत प्राप्त की।

जी–20 के सदस्यों ने धीरे–धीरे नागरिक समाज के साथ

संबंध्दता के महत्व को स्वीकार किया है और इस तरह सिविल 20 के माधअयम से औपचारिक संवाद स्थापित किया। पहले सी–20 का आयोजन वर्ष 2013 में रूस की अध्यक्षता में हुआ, वहां इसे एक औपचारिक मंच के रूप में पहचान मिली, जहाँ एक परिणामोन्मुख संवाद वैशिवक नागरिक समाज, राजनीतिज्ञों और निर्णय लेने वालों के बीच प्राथमिकता के आधार पर अधिकारिक एजेंडे के रूप में रुस की अध्यक्षता में हुआ। तब से ही सी–20 ने एक बैठक के रूप में एक आकार लिया है, जहाँ जी–20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर विचार–विमर्श हो रहे हैं और जहाँ इसे करने के लिए नागरिक समाज प्रासंगिक मुद्दों पर नीतियों में योगदान प्रदान करता है और जी–20 शिखर सम्मेलन के अन्य मुद्दों के साथ मुख्य एजेंडा पर भीअपना आकलन प्रस्तुत करता है।

सी–20 के गठन के बाद से अपने विचार–विमर्श में नागरिक समाज द्वारा प्रतिनिधित्व में सुधार और कम आय वाले देशों के प्रतिनिधि को शामिल करने की प्रमुख मांग उठाया गई, ताकि स्थायी वृद्धि, असमानता को कम करने और गरीबी को कम करने के प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए जी–20 की प्रक्रिया की जवाबदेही बढ़ाई जाए। सिविल सोसाइटी की सिफारिश मे भी ऐसे व्हिस्ल–ब्लोअर की सुरक्षा, चोरी की संपत्ति वसूली, निगमों द्वारा करों के भुगतान को लेकर देशों में रिपोर्टिंग और भ्रष्टाचार विरोधी और वित्तीय पारदर्शिता के मुद्दों से निपटने कानून को पेश करना, निष्पक्ष और स्थायी रोजगार सुनिश्चित करने के कर्मचारियों की संख्या में लैंगिक अंतर को पाटने के लिए उपाय शुरू करने और रोजगार के मुद्दों पर मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में कटौती, अक्षय ऊर्जा तकनीक में निवेश और छोटे स्तर पर कृषि और खाद्य सामग्री की कीमते कम करने, जलवायु परिवर्तन और बड़े पैमाने पर खाद्य असुरक्षा के रूप में मुद्दों का उतार–चढ़ाव शामिल है।

सी–20 के गठन के बाद से अपने विचार–विमर्श में नागरिक समाज द्वारा प्रतिनिधित्व में सुधार और कम आय वाले देशों के प्रतिनिधि को शामिल करने की प्रमुख मांग उठाया गई, ताकि स्थायी वृद्धि, असमानता को कम करने और गरीबी को कम करने के प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए जी–20 की प्रक्रिया की जवाबदेही बढ़ाई जाए।

भारत में जी–20 के साथ संबद्धता की आवश्यकता

बीते कुछ सालों में दो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारतीय नागरिक समाज संगठनों को जी–20 के साथ संलग्न करने की आवश्यकता है जिसके बार में तात्कालिकता के संकेत हैं। पहला, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के रूप में जी–20 के उद्भव,जो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक के रूप में वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए विचार–विमर्श और ट्रम्प फैसलों को आकार देने के लिए पर्याप्त व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसका मतलब है कि व्यापार और निवेश और विकास के एजेंडे के वित्तपोषण पर नीतियों को मूल रूप से जी–20 द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।

दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती ताकत, जो ब्रिक्स, इब्सा और जी –20 के रूप में ही अंतरराष्ट्रीय मंचों में एक अग्रणी आवाज बन गई है। भारत सरकार जी –20 के भीतर अपने स्वयं के एजेंडे को बढ़ावा देने की स्थिति में है और विकास की प्रक्रिया में प्रमुख हितधारकों के हितों और वर्गों की मांगों का प्रतिनिधित्व करता हैं।

इसलिए, भारत के गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के अन्य कार्यकर्ताओं के लिए सक्रिय रूप से जी–20 में भाग लेने के लिए की जरूरत है ताकि सुनिश्चित हो सके कि भारत सरकार मोटे तौर पर अपने हितधारकों को परिभाषित करता है और उनके हितों की आवाज को जी –20 में रखता है, खास कर जो गरीब और हांसिये पर रहते हैं।

जी–20 के साथ वाणी की संलग्नता

भारत में स्वयंसेवी संगठनों के एक राष्ट्रीय मंच के रूप में वाणी को भारतीय स्वयं सेवी संगठनों की क्षमता के निर्माण के महत्व का एहसास है, खास कर जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं,उसके बाद वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका के बारेमें बेहतर ढंग से समझ विकसित हो और नीति प्रक्रियाओं और विचार–विमर्श के साथ वे संलग्न हैं और जानकारी प्रदान करने में सक्षम है।

इसलिए, मालूम होता है स्वैच्छिक संगठनों और विकास पर वैश्विक चर्चा के बीच मौजूद अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से और भारत को इस स्थिति के लिए उन्हें जागरूक बनाने और इन चर्चाओं को आकार देने के द्वारा सूचित किया और जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिबद्धताओं के साथ और बदले में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विकासात्मक पथ का निर्धारण को लेकर वाणी ने चार विषयगत मुद्दों, वित्तीय समावेशन, सतत विकास, भ्रष्टाचार और शासन और समावेशी विकास पर एक अध्ययन किया है।

('वित्तीय समावेशन में जी–20 देशों की भारत पर गंभीरता के साथ फोकस समीक्षा', 'भारत में समावेशी विकास से में लोगों को लाना सुनिश्चित करना', "भारत में भ्रष्टाचार और शासन– वर्तमान स्थिति और बढ़ते कदम' और "भारत में सतत विकास– समीक्षा और आगे का रास्ता') अच्छे व्यवहार के बारे में भी सरकार और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को स्वैच्छिक संगठनों की और सकारात्मक अनुभव बताए, जैसा कि अक्सर सरकार और ये नेटवर्क स्वैच्छिक संगठनों की सीखों के प्रति उदासीन या अनजान बने हुए हैं जिन्हें जमीन पर जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से जूझने में विशेषज्ञता है।

वाणी भी जी–20 प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए जी–20 के एजेंडे पर विभिन्न मुद्दों पर नागरिक समाज की स्थिति मजबूत करना चाहता है।

सी 20 के स्थापना के बाद से ही, सी 20 संयुक्त नागरिक समाज की नीति सिफारिशों को विकसित करने के क्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज संगठनों के साथ संलग्न है, जहां एक परामर्शी प्रक्रिया का प्रचलन है।

इन सिफारिशों को संयुक्त पैरवी के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और चूंकि अध्यक्षीय की अवधि के लिए जी–20 सरकारों के साथ काम को प्रभावित करने और इसे परामर्श प्रक्रिया के रूप में व्यापक रूप में संभव आधार पर किया जाना आवश्यक है।

इस साल के लिए एजेंडा तय करने में मदद करने के क्रम में, वाणी सी–20 तुर्की सचिवालय द्वारा संचालित किये जा रहे सर्वेक्षण में हिस्सा लेने के लिए अपने सदस्यों को प्रोत्साहित करती है। यह ऑनलाइन सर्वे यहां उपलब्ध है।

http://www.c20turkey.org/poll

संदर्भ :

1) "Introduction to The Group of 20 (G20)", available at http://us.boell.org/sites/default/files/alexander_new_introduction_g20_7-23-14.pdf

2) "G20 and Civil Society Engagement- A Critical Imperative", adopted from Civil Society Voices, March 2012, published by VANI India

3) "Civil Society Priorities and the 2015 Turkish G20 Presidency", available at http://www.c20turkey.org/pdf/bbp_en.pdf

4) "Turkish G20 Presidency Priorities for 2015", available at https://g20.org/wp-content/uploads/2014/12/2015-TURKEY-G-20-PRESIDENCY-FINAL.pdf

5) "Officials: G-20 to supplant G-8 as international economic council", available at http://edition.cnn.com/2009/US/09/24/us.g.twenty.summit/index.html

— सुश्री दिविता शांडिल्य,
डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च , वाणी, नई दिल्ली